



सत्यमेव जयते

# लेखे एक नज़र में 2010-11

महालेखा नियंत्रक  
व्यय विभाग  
वित्त मंत्रालय

---

लेखे एक नज़र में  
2010-11

---

विषय सूची

भूमिका .....	3
विहंगावलोकन .....	4
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां .....	9
वित्तीय विवरण .....	14
प्राप्तियां .....	17
व्यय .....	21
ऋण और अन्य देयताएं .....	25
विनियोग लेखे .....	30
परिशिष्ट .....	33
1. दस वर्षीय सारांश .....	35
2. करेतर राजस्वों का विवरण .....	37
3. वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण .....	38
4. ₹1,000 करोड़ से अधिक की बजट सहायता वाली मुख्य योजना स्कीमों पर व्यय .....	39
5. योजनेतर व्यय का विवरण .....	42
6. वेतन और भत्तों पर व्यय .....	44
7. आर्थिक सहायताओं का विवरण .....	50
8. मंत्रालयों और विभागों का व्यय .....	54
9. ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्योरा .....	69
10. ₹100 करोड़ अथवा इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग .....	70

लेखे एक नज़र में

### लेखे एक नज़र में

2010-11

#### भूमिका

संविधान के अनुच्छेद 150 में “नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें” सरकार के लेखों का रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियां कार्य का आवंटन नियमावली के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय का दायित्व है। महालेखा नियंत्रक को संघ सरकार के वित्त लेखे और विनियोग लेखे (सिविल) तैयार करने का भी दायित्व सौंपा गया है।

वित्त लेखों में सिविल मंत्रालयों और गैर-सिविल मंत्रालयों अर्थात् रक्षा, डाक और रेलवे के लेन देनों को शामिल करके संघ सरकार के समग्र लेखे तैयार किए जाते हैं। इनमें भारत की समेकित निधि, लोक लेखों, लोक ऋण लेखों, अन्य देयताओं और लेखों में यथा अभिलिखित परिसम्पत्तियों से होने वाली प्राप्तियों और निर्गमों के लेखों सहित संघ सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल होते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 114 में निर्धारित किया गया है कि “भारत की समेकित निधि से इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन राशि को छोड़कर कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी”। विनियोग लेखे संसद द्वारा विभिन्न मांगों के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए विनियोगों का सरकारी विभागों द्वारा अनुपालन दर्शाने के लिए तैयार किए जाते हैं। मूल मांग और अंतिम विनियोग और वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतर (अधिक व्यय और बचत दोनों) के लिए स्पष्टीकरण दिया जाता है। सभी सिविल मंत्रालयों के लेन-देनों को शामिल करके विनियोग लेखे संसद में पेश करने के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा समेकित किए जा रहे हैं। गैर सिविल मंत्रालयों के विनियोग लेखे सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

वर्ष 2010-11 के दौरान संघ सरकार के वित्त लेखे महालेखा नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए। विनियोग लेखे सिविल मंत्रालयों के लिए तैयार किए जाते हैं जिनमें 5 विनियोग और 93 अनुदान शामिल हैं।

लेखे एक नज़र में वर्ष 2010-11 के वित्त लेखे और विनियोग लेखे (सिविल) जिनमें सरकार के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण समाविष्ट होते हैं, में दिए गए ब्योरेवार वित्तीय निष्पादन का सार उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है।

## विहंगावलोकन

### प्राप्ति, व्यय और घाटा\*

वर्ष 2010-2011 के दौरान, कुल प्राप्तियां जिनमें उधार की राशियां शामिल हैं ₹ 1,197,329 करोड़ थीं। सकल कर प्राप्तियां ₹ 789,172 करोड़ थीं जिनमें से ₹ 219,303 करोड़ (27.79%) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कर के भाग के रूप में अंतरित कर दिए गए थे। केन्द्र द्वारा रखा गया निवल कर राजस्व ₹ 569,869 करोड़ था। सरकार की कुल ऋणोत्तर प्राप्तियां (निवल अंतरण) ₹ 823,737 करोड़ थीं।


भारत की समेकित निधि से कुल सरकारी व्यय ₹ 1,197,328 करोड़ था। इसमें से, राजस्व व्यय ₹ 1,040,723 करोड़ (87%) और पूंजीगत व्यय ₹ 156,605 करोड़ (13%) था। कुल व्यय में योजना व्यय और योजनेतर व्यय का भाग क्रमशः 32% (₹ 379,065 करोड़) और 68% (₹ 818,263 करोड़) था।

वित्तीय विशेषताएं 2010-2011 (₹ करोड़)					
	विवरण	संशोधित अनुमान 2010-2011	वास्तविक 2010-2011	वास्तविक 2009-2010	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
1.	राजस्व प्राप्तियां	<b>783,833</b>	<b>788,471</b>	<b>572,811</b>	<b>38%</b>
2.	कर राजस्व (केन्द्र को निवल)	563,685	569,869	456,536	25%
3.	करेतर राजस्व	220,148	218,602	116,275	88%
4.	पूंजीगत प्राप्तियां	<b>31,745</b>	<b>35,266</b>	<b>33,194</b>	<b>6%</b>
5.	कर्जों की वसूलियां	9,001	12,420	8,612	44%
6.	अन्य प्राप्तियां	22,744	22,846	24,582	-7%
7.	कुल प्राप्तियां (1+4)	<b>815,578</b>	<b>823,737</b>	<b>606,005</b>	<b>36%</b>
8.	योजनेतर व्यय	<b>821,552</b>	<b>818,263</b>	<b>721,095</b>	<b>13%</b>
9.	राजस्व लेखे पर	726,749	726,491	657,923	10%
10.	ब्याज अदायगियां	240,757	234,022	213,093	10%
11.	पूंजीगत लेखे पर	94,803	91,772	63,172	45%
12.	योजना व्यय	<b>395,024</b>	<b>379,065</b>	<b>303,393</b>	<b>25%</b>
13.	राजस्व लेखे पर	326,928	314,232	253,887	24%
14.	पूंजीगत लेखे पर	68,096	64,833	49,506	31%
15.	कुल व्यय (8+12)	<b>1,216,576</b>	<b>1,197,328</b>	<b>1,024,488</b>	<b>17%</b>
16.	राजस्व व्यय (9+13)	1,053,677	1,040,723	911,810	14%
17.	पूंजीगत व्यय (11+14)	162,899	156,605	112,678	39%
18.	राजस्व घाटा (16-1)	269,844	252,252	338,999	-26%
19.	राजकोषीय घाटा [ 15-7 ]	<b>400,998</b>	<b>373,591</b>	<b>418,483</b>	<b>-11</b>
20.	प्राथमिक घाटा (19-10)	160,241	139,569	205,390	-32%

\*इस दस्तावेज़ में दर्शाए गए प्राप्तियों और व्ययों के आंकड़े ('वित्तीय विवरण' और 'ऋण और अन्य देयताएं' अध्यायों में दिए गए आंकड़ों को छोड़कर) बजट दस्तावेज़ों के अनुसार निवलित किए गए हैं।


पिछले दशक के दौरान, सरकार का सकल कर राजस्व ₹ 187,060 करोड़ [2001-02] से लगभग सवा चार गुना बढ़कर ₹ 789,172 करोड़ [2010-11] हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, वर्ष 2010-11 के दौरान सकल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 10.28% था। करेतर राजस्व जोकि वर्ष 2001-02 में सकल घरेलू उत्पाद का 3% था वह वर्ष 2010-11 में कम होकर 2.85% हो गया है।

भारत सरकार की राजस्व प्राप्ति



राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है। वर्ष 2010-11 में, यह सकल घरेलू उत्पाद का 13.56% था जो कि पिछले वर्ष 14.79% था। पूंजीगत व्यय वर्ष 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.04% था।


भारत सरकार का व्यय



## लेखे एक नज़र में

केन्द्र की निवल प्राप्तियां कुल व्यय के केवल 69% को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं और इस प्रकार इसमें ₹ 373,591 करोड़ का घाटा रहा। वर्ष का राजस्व घाटा ₹ 252,252 करोड़ था। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.87% और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.29% था।

भारत सरकार का घाटा



## घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

₹ 373,591 करोड़ के घाटे को मुख्य रूप से ₹ 329,275 करोड़ के आंतरिक ऋण और ₹ 23,556 करोड़ के बाह्य ऋण से वित्तपोषित किया गया। वर्ष के दौरान रोकड़ शेष में ₹ 9,167 करोड़ की गिरावट आई।

घाटे का वित्तपोषण (₹ करोड़)				
विवरण	2010-11		2009-10	
आंतरिक ऋण	329,725	88%	304,844	70%
बाजार कर्ज	325,414	99%	408,424	98%
खजाना बिल	7,759	2%	(-9,769)	(-2%)
प्रतिपूर्ति और अन्य बांड	(-7,726)	(-2%)	(-8,775)	(-2%)
अन्य	4,278	1%	(-85,036)	(-23%)
परिक्रामी निधि सहित बाह्य ऋण	23,556	6%	11,037	3%
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	9,167	3%	84,640	20%
लोक लेखा	11,143	3%	30,020	7%
<b>कुल वित्तपोषण</b>	<b>373,591</b>	<b>100%</b>	<b>418,483</b>	<b>100%</b>


## ऋण और अन्य देयताएं

वर्ष के दौरान, सरकार ने ₹ 3,177,106 करोड़ के नए ऋण का अनुबंध किया और पुराने ऋण के ₹ 2,814,774 करोड़ चुकाए। निवल परिणाम यह हुआ कि लोक ऋण में ₹ 362,332 करोड़ की वृद्धि हो गई। 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार बकाया कुल ऋण ₹ 2,824,754 करोड़ था। वर्ष 2010-11 के अंत में ब्याज वाला कुल दायित्व ₹ 3,352,871 करोड़ था और कुल देयताएं ₹ 3,411,211 करोड़ थीं।

ऋण और अन्य देयताओं में परिवर्तन (₹ करोड़)					
विवरण	01-अप्रैल-10	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-11	वृद्धि/कमी
ऋण*	2,462,422	3,177,106	2,814,774	2,824,754	362,332
अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि**	463,826	403,485	409,615	457,696	(-),6,130
ब्याज वाली अन्य देयताएं	72,875	40,429	42,883	70,421	(-),2,454
बिना ब्याज वाली अन्य देयताएं	46,578	185,745	173,983	58,340	11,762
<b>कुल ऋण और अन्य देयताएं</b>	<b>3,045,701</b>	<b>3,806,765</b>	<b>3,441,255</b>	<b>3,411,211</b>	<b>365,510</b>

पिछले दस वर्षों में, लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर] जोकि वर्ष 2001-02 में ₹ 1,112,957 करोड़ था वह वर्ष 2010-11 में ढाई गुना होकर ₹ 2,945,992 करोड़ हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में, लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर] जोकि वर्ष 2001-02 में सकल घरेलू उत्पाद का 48.5% था वह घटकर वर्ष 2010-11 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद का 38.39% हो गया। वर्ष 2010-11 के अंत में, आंतरिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 34.75% और बाह्य ऋण [वर्तमान मूल्य पर] सकल घरेलू उत्पाद का 3.63% था।

### भारत सरकार का ऋण



प्राप्तियों और व्यय, लोक ऋण और अन्य देयताओं का दस वर्ष का सारांश परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

\*बाह्य ऋण (₹ 157,639 करोड़) ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया है। यदि यह वर्तमान मूल्य (₹ 278,877 करोड़) पर लिया जाता तो 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार लोक ऋण की राशि ₹ 2,945,992 करोड़ होती।

\*\*31-3-2011 की स्थिति के अनुसार अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि से संबंधित केंद्र सरकार की कुल देयता ₹ 985,258 करोड़ है। इसमें से, ₹ 526,062 करोड़ का निवेश राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में और ₹ 1,500 करोड़ का निवेश आईआईएफसीएल में किया गया है और इस प्रकार इस लेखे में ₹ 457,696 करोड़ की निवल बकाया देयता रह गई है।

## लेखे एक नज़र में

### निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

वर्ष 2010-11 के दौरान, सरकार ने ₹ 823,737 करोड़ (राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अंतरण का निवल) का राजस्व एकत्रित किया और ₹ 3,168,055 करोड़ का ऋण लिया। भारत की समेकित निधि में प्राप्त की गई कुल निधियां, इस प्रकार, ₹ 3,991,792 करोड़ थीं। इसमें से, ₹ 2,814,774 करोड़ पिछले ऋण की पुनर्अदायगी करने के लिए उपयोग में लाए गए और ₹ 1,197,328 करोड़ सरकार के चालू कार्यक्रमों पर व्यय किए गए। इसके परिणामस्वरूप, भारत की समेकित निधि में ₹ 20,310 करोड़ की कमी आई जिसने सरकार के रोकड़ शेष में ₹ 9,167 करोड़ की कमी कर दी।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग ( ₹ करोड़ )					
	स्रोत			अनुप्रयोग	
	2010-11	2009-10		2010-11	2009-10
<b>राजस्व</b>	<b>823,737</b>	<b>606,005</b>	<b>व्यय</b>	<b>1,197,328</b>	<b>1,024,488</b>
कर	569,869	456,536	योजना	379,065	303,393
करेतर	218,602	116,275	योजनेतर	818,264	721,095
ऋणोत्तर पूंजी	35,266	33,194	ब्याज अदायगी	234,022	213,093
<b>अन्य स्रोत</b>	<b>3,188,366</b>	<b>3,504,275</b>	<b>अन्य अनुप्रयोग</b>	<b>2,814,774</b>	<b>3,085,792</b>
नया ऋण	3,168,055	3,401,673	ऋण की पुनर्अदायगी	2,814,774	3,085,792
आंतरिक*	3,132,725	3,379,496	आंतरिक	2,803,000	3,074,652
बाह्य	35,330	22,177	बाह्य	11,774	11,140
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	9,167	84,640			
लोक लेखा	11,143	17,962			
<b>जोड़</b>	<b>4,012,102</b>	<b>4,110,280</b>	<b>जोड़</b>	<b>4,012,102</b>	<b>4,110,280</b>

पिछले वर्ष की तुलना में, सरकार की प्राप्तियों में 36% की वृद्धि हुई। कर प्राप्तियों में 25% की वृद्धि हुई जबकि करेतर प्राप्तियों में 88% की वृद्धि हुई। सरकारी व्यय में 17% की वृद्धि हुई। पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा 39% की वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा केवल 14% की वृद्धि हुई। योजना व्यय में 25% की वृद्धि हुई और योजनेतर व्यय में 13% की वृद्धि हुई।

\* अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जारी की गई प्रतिभूतियों का निवल (₹ 9,051 करोड़)

## महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां आंकड़े प्रदाता संगठन

इस पुस्तिका में जो वित्तीय विवरण और लेखे प्रस्तुत किए गए हैं वे भारत सरकार और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। अन्य सरकारी संगठनों जैसे राज्य सरकारों, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारी स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यमों, स्वायत्त निकायों आदि के लेखों को शामिल नहीं किया गया है।

लेखे अनुच्छेद 151(1) के अधीन सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

### लेखों का स्वरूप और विषय-वस्तु

संविधान के अनुच्छेद 150 में “नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें” सरकार के लेखों का रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियां कार्य का आवंटन नियमावली के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को प्रत्यायोजित की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी लेखाकरण नियमावली, 1990 तैयार की गई है जिसमें सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

सरकारी वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाना है उसका निर्धारण भी संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 266 के प्रावधानों के अनुसार, सभी सरकारी राजस्वों जिनमें सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और उधार दी गई राशियों से होने वाली आय शामिल है, को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और सरकार द्वारा प्राप्त की गई अन्य सभी धनराशियां लोक लेखे में जमा कर दी जाती हैं। सभी सरकारी व्यय भारत की समेकित निधि से पूरा किया जाता है।

अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए जिसे संसद से प्राधिकृत करना लंबित रखा जाता है, सरकार के पास अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि रखी जाती है जिसमें 500 करोड़ रुपए की राशि जमा रहती है।

भारत की समेकित निधि में से धनराशियों का विनियोग अनुच्छेद 112 से 117 में समाविष्ट सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

### लेखाकरण का रोकड़ आधार

सरकार के लेखे रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। राजस्वों और व्ययों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें वे वसूल अथवा अदा किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान सरकार को देय या सरकार द्वारा देय राशियों को मान्यता प्रदान नहीं की जाती।

सरकारी लेखों में मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्ज किया जाता है:

- (क) सरकारी रोकड़ शेष में और उसमें से होने वाले नकदी प्रवाह का रख-रखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है,

## लेखे एक नज़र में

- (ख) सरकारी देयताओं (लोक ऋण और लोक लेखे पर लेन देन) और वित्तीय परिसम्पत्तियों (कर्ज और अग्रिम) का भंडार, और
- (ग) कुछ नकदीतर लेनदेन (समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के बीच अंतः निधि अंतरण, वस्तु के रूप में बाह्य सहायता, हानियों को बट्टे खाते डालना और पिछले कर्जों को अनुदान आदि में परिवर्तित करना)।

वित्तीय विवरण और लेखे पारंपरिक लागत की परंपरा के अनुसार रखे जाते हैं। बाह्य ऋण को ऋण का करार करने के समय लागू विनिमय दर पर दर्शाया गया है। इसी प्रकार से, सरकारी वित्तीय निवेशों (इक्विटी और कर्जों) को उनके ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों के मूल्य की हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता।

लेखाकरण का आधार रोकड़ होता है, अतः भौतिक परिसम्पत्तियों को मूल्यहासित अथवा परिशोधित नहीं किया जाता। भौतिक परिसम्पत्तियों की समय सीमा का अंत होने पर उनकी हानियों अथवा बट्टे खाते डाले जाने को भी मान्य अथवा व्ययित नहीं किया जाता।

यहां प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों में उन सरकारी कर्मचारियों के अधिवर्षिता लाभों से संबंधित सरकार की देयता शामिल नहीं है जो पेंशन की परिभाषित लाभ स्कीम के अंतर्गत आते हैं और उन्हें 'आपके जाने पर अदायगी' आधार पर अदायगी की जाती है।

### लेखाकरण अवधि

लेखों के लिए अप्रैल से मार्च का वार्षिक बजटीय चक्र अपनाया जाता है।

### मुद्रा

लेखे भारतीय रुपए में रखे जाते हैं। विदेशी मुद्रा लेन देनों (प्राप्तियां और अदायगियां दोनों) को भी लागू परिवर्तन दरों पर भारतीय रुपयों में दर्ज किया जाता है।

### राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां/व्यय

राजस्व प्राप्तियों में, परिसम्पत्तियों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों को छोड़कर सभी कर और करेतर प्राप्तियों को शामिल किया जाता है।

राजस्व व्यय आवर्ती स्वरूप के व्यय होते हैं और उन्हें राजस्व प्राप्तियों से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य सरकारों और अन्य संगठनों को अंतरण अदायगियां, जिनमें प्राप्तकर्ता द्वारा परिसम्पत्ति सृजन के लिए निर्धारित अंतरण अदायगियां भी शामिल हैं, को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकारी परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुई आय शामिल होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से हुई आय भी शामिल है।

पूंजीगत व्यय वे होते हैं जो सामग्री और स्थायी स्वरूप की ठोस परिसम्पत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इनमें अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण, मशीनरी और उपस्कर तथा सरकारी इक्विटी निवेशों पर किया गया व्यय शामिल होता है। सरकार के ऋण प्रचालन को भी पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाता है।

### विनिमय दर में घट-बढ़

विदेशी कर्जों को पारंपरिक विनिमय दर अर्थात ऋण के करार के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। इस प्रकार के कर्जों की पुनर्अदायगियों को भी पुनर्अदायगी के समय

प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विनिमय दर में घट-बढ़ के कारण बाह्य कर्जों पर हानि/लाभ को कर्ज की पूर्ण अदायगी के पश्चात “8680 - विविध सरकारी लेखे” को व्ययित किया जाता है।

### बाह्य सहायता

सहायता सामग्री, उपस्कर या अन्य आपूर्तियों के रूप में बाह्य सहायता को भी इस प्रकार की सहायता के मूल्य पर पहचान की जाती है और प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। सरकारी विभागों द्वारा उपयोग के लिए ऐसी सामग्री के आवंटन अथवा अन्य संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में संवितरण को राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

### लेखाकरण मानक

गारंटी विवरण गारंटी प्रकटन अपेक्षाओं से संबंधित ‘भारतीय गारंटी लेखाकरण मानक’ के अनुसरण में है।

### राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और इसकी कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) का अंतर है। राजकोषीय घाटे के तत्व हैं (क) राजस्व घाटा, जो कि सरकार के वर्तमान (या राजस्व) व्यय एवं कुल वर्तमान प्राप्तियों (अर्थात् उधार को छोड़कर) और (ख) पूंजीगत व्यय का अंतर है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण भारतीय रिजर्व बैंक से उधार (जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा धन जुटाना भी कहा जाता है) और बाजार उधार (मुद्रा बाज़ार अर्थात् मुख्यतः बैंको से) द्वारा किया जा सकता है।

### प्रारंभिक घाटा

राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी घटाने पर प्रारंभिक घाटा प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या सरकार के ब्याजेतर व्यय की प्राप्तियों से अधिकता के रूप में की जा सकती है।

### योजना एवं योजनेतर व्यय

योजनेतर व्यय एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग अनिवार्य स्वरूप के सरकार के सभी व्यय अर्थात् ब्याज अदायगियां, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को पेंशन प्रभार और सांविधिक अंतरण को शामिल करने के लिए किया जाता है। व्यय का एक भाग राज्य के अनिवार्य कार्यों अर्थात् रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, विदेशी मामलों और राजस्व संग्रहण से संबंधित होता है। अन्य सभी व्यय योजना व्यय होता है। यह राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय हो सकता है।

### अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध करवाता है ताकि वे अपनी प्राप्तियों एवं अदायगियों के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल होने की स्थिति को समाप्त कर सकें। ऐसे अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत ‘प्रत्येक मामले में उस अग्रिम को देने की तारीख से 3 माह तक प्रतिदेय’ होते हैं। दो प्रकार के अर्थोपाय अग्रिम होते हैं - सामान्य और विशेष।

## लेखे एक नज़र में

### संशोधित अनुमान/बजट अनुमान/वास्तविक

बजट अनुमान उस वर्ष के 01 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष को सरकार का व्यय एवं प्राप्त प्रावधान होता है जिसे सामान्यतः वित्तीय वर्ष शुरू होने से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किसी वर्ष के बजट दस्तावेज़ में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान भी दर्शाए जाते हैं जो कि सरकार का कमोबेश वास्तविक अनुमानित व्यय होता है। तथापि, वास्तविक व्यय या वास्तविक का संकलन वर्ष के दौरान किए गए सरकार के यथार्थ व्यय को लेखे में लेने के बाद किया जाता है और इसे वित्त लेखे एवं विनियोग लेखों में दर्शाया जाता है।

### उधार

सरकार, सरकार के घाटे को वित्तपोषित करने के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों से उधार लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी घाटे के वित्तपोषण का एक स्रोत लोक लेखा भी होता है। आंतरिक उधार में मुख्य रूप से बाजार कर्जे शामिल होते हैं।

### लेखों की संरचना

सरकारी लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:-

#### I. भारत की समेकित निधि

सरकार द्वारा आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, भू-राजस्व (कर राजस्व) जैसे कराधन से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व और रेलवे, डाक, परिवहन आदि से प्राप्त (करतर राजस्व) जैसे सरकारी कार्यों से सरकार को होने वाली अन्य प्राप्तियों को समेकित निधि में जमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार से, सरकार द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जारी करके प्राप्त किए गए सभी कर्जों, खजाना बिलों (आंतरिक ऋण) और विदेशी सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं से प्राप्त कर्जों (बाह्य ऋण) तथा सरकार को कर्जों की पुनर्दायगी और उस पर ब्याज के रूप में प्राप्त सभी प्रकार की धनराशियों को भी इस निधि में जमा कर दिया जाता है। आंतरिक और बाह्य ऋण की पुनर्दायगी और विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज जारी किए जाने सहित अपना कार्य करने के लिए सरकार द्वारा किए गए समस्त व्यय को इस निधि के नामे डाला जाता है।

भारत की समेकित निधि संबंधी लेन देनों को 6-स्तरीय उत्क्रम ढांचे वाले कार्यों एवं कार्यक्रमों [जोकि अधिकांशतः विकास के योजना शीर्ष के अनुरूप होते हैं और ऐसा न होने पर सांविधानिक और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं] में विभाजित कार्यात्मक वर्गीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

- v मुख्य शीर्ष - सरकार के मुख्य कार्य का द्योतक है।
- v उप-मुख्य शीर्ष - सरकार के उप-कार्य का द्योतक है।
- v लघु शीर्ष - सरकार के कार्यक्रम का द्योतक है।
- v उप शीर्ष - स्कीम का द्योतक है।
- v ब्योरेवार शीर्ष - उप स्कीम का द्योतक है, और

v वस्तुगत शीर्ष - व्यय के उद्देश्य के लिए [जैसे वेतन, कार्यालय व्यय]

व्यय लेन देनों को 'योजना' या 'योजनेतर' व्यय और 'स्वीकृत' या 'प्रभारित' व्यय में भी वर्गीकृत किया जाता है।

### II. भारत की आकस्मिकता निधि

यह निधि अग्रदाय स्वरूप की होती है और उसे भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में रखा जाता है ताकि सरकार अप्रत्याशित व्यय को संसद से उसे प्राधिकृत कराए जाने तक लंबित रखकर पूरा कर सके। इस धनराशि का उपयोग प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान किए जाने और साथ ही सरकार द्वारा किसी नई नीति को लागू करने के निर्णय को संसद से इसका अनुमोदन लंबित रखते हुए कार्यान्वित करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे सभी मामलों में, संसद का अगला सत्र बुलाए जाने पर चालू वित्त वर्ष के दौरान स्कीम/परियोजना पर किए जाने वाले कुल व्यय को दर्शाते हुए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। संसद द्वारा विधेयक को स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात, आकस्मिकता निधि में से पहले ही खर्च की जा चुकी धनराशि की संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष आदि में व्यय नामे डालकर भारत की समेकित निधि में प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

### III. भारत का लोक लेखा

सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त सार्वजनिक धनराशि, उन धनराशियों से भिन्न जो भारत की समेकित निधि में जमा की जानी होती हैं, लोक लेखे के अंतर्गत लेखाबद्ध की जाती है। लोक लेखे में जमा की जाने वाली प्राप्तियों और इसमें से किए जाने वाले संवितरणों को संसद से स्वीकृत नहीं कराया जाता। इस लेखे के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से बचत प्रमाण-पत्रों की बिक्री, सामान्य भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि में अंशदानों, सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति जमाओं और बयाना जमाओं से आती हैं। इन प्राप्तियों के संबंध में, सरकार बैंकर या न्यासी की भूमिका निभाती है और संविदा/कार्य पूरा होने के बाद धनराशि वापस करती है। लोक लेखे में विभिन्न उचंत और प्रेषण शीर्ष भी शामिल होते हैं।

लोक लेखे संबंधी लेन देनों को प्राप्तियों और संवितरणों के रूप में दर्ज किया जाता है और उन्हें निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- v अल्प बचत
- v आरक्षित निधियां
- v जमा और अग्रिम
- v उचंत और विविध
- v प्रेषण
- v रोकड़ शेष

## लेखे एक नज़र में

### वित्तीय विवरण

वित्तीय स्थिति का विवरण ( ₹ करोड़ )		
	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010
<b>देयताएं</b>	<b>3,405,813</b>	<b>3,037,232</b>
क. लोक ऋण	2,824,754	2,462,422
1. आंतरिक ऋण	2,667,115	2,328,339
2. बाह्य ऋण	157,639	134,083
ख. आकस्मिकता निधि	500	500
ग. लोक लेखे पर देयताएं (निवेशों/अग्रिमों का निवल)	580,559	574,310
1. आरक्षित निधियां	21,617	20,670
2. जमा और अग्रिम	101,246	89,815
3. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	457,696	463,825
<b>परिसम्पत्तियां</b>	<b>3,405,813</b>	<b>3,037,232</b>
क. रोकड़ और रोकड़ समकक्ष	17,865	28,797
1. रोकड़ शेष	1,449	10,616
2. अल्पावधि रोकड़ निवेश	16,416	18,181
ख. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	508,416	467,769
1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी निवेश	328,307	286,920
2. कर्ज तथा अग्रिम	228,656	219,666
क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	145,019	144,047
ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	83,637	75,619
3. उचत और विविध	(-)48,547	(-)38,817
ग. संचित घाटा*	2,879,532	2,540,666

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2010-11)

\*पिछले वर्षों के संचित घाटे और अधिशेष को दर्शाता है।

प्रचालन विवरण ( ₹ करोड़ )		
	2010-11	2009-10
<b>प्राप्तियां</b>		
<b>राजस्व लेखा</b>	<b>932,686</b>	<b>704,523</b>
कर राजस्व	574,005	459,696
करेतर राजस्व	356,008	241,686
सहायता अनुदान	2,673	3,141
<b>अन्य प्राप्तियां</b>	<b>22,846</b>	<b>24,581</b>
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश	1,676	2,233
अन्य	21,170	22,348
<b>कुल प्राप्तियां</b>	<b>955,532</b>	<b>729,104</b>
<b>व्यय</b>		
<b>राजस्व लेखा</b>	<b>1,186,115</b>	<b>1,057,479</b>
सामान्य सेवाएं	454,561	429,839
सामाजिक सेवाएं	121,965	100,324
आर्थिक सेवाएं	449,838	384,381
सहायता अनुदान	159,751	142,935
<b>पूंजीगत लेखा</b>	<b>103,742</b>	<b>86,316</b>
सामान्य सेवाएं	70,933	58,315
सामाजिक सेवाएं	3,968	3,570
आर्थिक सेवाएं	28,841	24,431
<b>विविध</b>	<b>4,541</b>	<b>44</b>
<b>कुल व्यय</b>	<b>1,294,398</b>	<b>1,143,839</b>
पूर्व अवधि समायोजन	2,398	3,694
<b>घाटा*</b>	<b>338,866</b>	<b>418,429</b>

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2010-11)

\* घाटे को वित्तीय स्थिति के विवरण में अग्रणीत करके संचित घाटे के रूप में दर्शाया गया है।


## लेखे एक नज़र में

प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण ( ₹ करोड़ )		
	2010-11	2009-10
<b>प्राप्तियां</b>	<b>4,868,813</b>	<b>4,807,565</b>
भारत की समेकित निधि	<b>4,161,891</b>	<b>4,147,164</b>
कर राजस्व	574,005	459,696
करेतर राजस्व	356,008	241,686
सहायता अनुदान और अंशदान	2,673	3,141
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	22,846	24,581
लोक ऋण	3,177,106	3,405,327
कर्ज तथा अग्रिम	29,253	12,733
भारत की आकस्मिकता निधि	0	0
<b>लोक लेखा</b>	<b>706,922</b>	<b>660,401</b>
अल्प बचतें, भविष्य निधि	403,485	378,377
आरक्षित निधियां	120,833	101,421
जमा तथा अग्रिम	157,701	167,052
उचंत और विविध	18,762	9,247
प्रेषण	6,141	4,304
<b>संवितरण</b>	<b>4,877,980</b>	<b>4,892,205</b>
भारत की समेकित निधि	<b>4,182,201</b>	<b>4,260,072</b>
सामान्य सेवाएं	454,561	429,839
सामाजिक सेवाएं	121,965	100,324
आर्थिक सेवाएं	449,838	384,381
सहायता अनुदान और अंशदान	159,751	142,935
पूंजीगत परिव्यय	140,671	100,686
ऋण की पुनर्दायगी	2,814,774	3,085,792
कर्ज तथा अग्रिम	40,641	16,115
भारत की आकस्मिकता निधि को अंतरण	0	0
<b>लोक लेखा</b>	<b>695,779</b>	<b>632,133</b>
अल्प बचतें, भविष्य निधि	409,615	342,105
आरक्षित निधियां	119,886	114,998
जमा तथा अग्रिम	146,269	161,855
उचंत और विविध	14,209	12,022
प्रेषण	5,800	1,153
<b>संवितरणों पर प्राप्तियां</b>	<b>(-)9,167</b>	<b>(-)84,640</b>
प्रारंभिक रोकड़ शेष	10,616	95,256
<b>अंत रोकड़ शेष</b>	<b>1,449</b>	<b>10,616</b>

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2010-11)

## प्राप्तियां

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में, कर राजस्व और करेतर राजस्व शामिल होते हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान, कर राजस्व कुल सरकारी ऋणोत्तर प्राप्तियों का लगभग 69% था। शेष राजस्व करेतर राजस्वों (27%) और ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों (4%) से प्राप्त हुआ। निगम कर, आय कर, सीमा शुल्क और संघ उत्पाद शुल्क सरकार के सबसे बड़े राजस्व स्रोत बने रहे जिनका कुल सरकारी ऋणोत्तर प्राप्तियों में लगभग 62% अंशदान रहा। ऋणोत्तर सरकारी प्राप्तियों के मुख्य अंशदाता निगम कर (26%), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (13%), सीमा शुल्क (12%), आयकर (11%), ब्याज (4%) और लाभांश (6%) हैं।



वर्ष 2010-2011 के लिए भारत सरकार की कुल प्राप्तियां [राज्यों को हस्तांतरित करों का निवल] ₹ 823,737 करोड़ थीं- इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 217,735 करोड़ [36%] की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि के साथ कर राजस्व ₹ 456,536 करोड़ से बढ़कर ₹ 569,869 करोड़ हो गया जबकि करेतर राजस्व 88% वृद्धि के साथ ₹ 116,275 करोड़ से बढ़कर ₹ 218,602 करोड़ हो गया। वर्ष 2010-11 के दौरान सरकार की अन्य प्राप्तियों में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर प्रीमियम के कारण प्राप्त किए गए ₹ 20,601 करोड़ शामिल हैं।

ऋणोत्तर प्राप्तियां (₹ करोड़)			
विवरण	2010-11	2009-10	वृद्धि
कर राजस्व	569,869	456,536	25%
करेतर राजस्व	218,602	116,275	88%
अन्य प्राप्तियां	35,266	33,194	6%
<b>कुल ऋणोत्तर प्राप्तियां</b>	<b>823,737</b>	<b>606,005</b>	<b>36%</b>

## लेखे एक नज़र में

### कर राजस्व

कर राजस्व संग्रहण (केंद्र को निवल) 2009-10 के ₹ 456,536 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 569,869 करोड़ हो गया - इसमें ₹ 113,333 करोड़ [25%] की वृद्धि हुई। मुख्य वृद्धियां सीमा शुल्क (63%), धन कर (36%), संघ उत्पाद शुल्क (34%), निगम कर (22%), सेवा कर (22%), आय कर (14%) में देखी गई जबकि कमी अनुषंगी हितलाभ कर (93%) और बैंकिंग रोकड़ लेनदेन (36%) में देखी गई।

कर राजस्व ( ₹ )							
विवरण	2010-11			2009-10			सकल कर में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि
	सकल	राज्यों को हस्तांतरित*	निवल	सकल	राज्यों को हस्तांतरित	निवल	
1. निगम कर	298,688	85,851	212,837	244,725	67,928	176,797	22%
2. आय कर	139,102	45,367	93,735	122,370	37,839	84,531	14%
3. ब्याज कर	4	-	4	4	-	4	0%
4. अनुषंगी हितलाभ कर	168	-	168	2,360	-	2,360	(-93%)
5. व्यय कर	29	-	29	(-62)	-	(-62)	
6. धन कर	687	176	511	505	154	505	36%
7. प्रतिभूति लेनदेन	7,155	-	7,155	7,394	-	7,394	(-3%)
8. बैंकिंग रोकड़ लेनदेन	158	-	158	247	-	247	(-36%)
9. सीमा शुल्क	135,813	38,408	97,405	83,324	23,101	60,223	63%
10. संघ उत्पाद शुल्क	137,701	27,940	109,761	102,991	18,608	84,383	34%
11. सेवा कर	71,016	21,561	49,455	58,422	17,202	41,220	22%
12. अन्य कर	569	-	569	634	-	634	[-]10%
13. संघ राज्य क्षेत्रों के कर	1,982	-	1,982	1,614	-	1,614	23%
14. एनसीसीएफ को अंतरित अधिभार	(-3,900)	-	(-3,900)	(-3,160)	-	(-3,160)	23%
<b>कुल कर राजस्व</b>	<b>789,172</b>	<b>219,303</b>	<b>569,869</b>	<b>621,368</b>	<b>164,832</b>	<b>456,536</b>	<b>27%</b>

### करेतर राजस्व

सरकार का करेतर राजस्व मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों, सार्वजनिक उद्यमों से लाभांश एवं लाभ और विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुल्क/प्रभार के रूप में प्रोद्भूत होता है। करेतर राजस्व संग्रहण जोकि 2009-10 में ₹ 116,275 करोड़ था वह 2010-11 के दौरान बढ़कर ₹ 218,602 करोड़ हो गया और इस प्रकार इसमें ₹ 102,328 करोड़ [88%] की वृद्धि हुई।

करेतर राजस्व ( ₹ करोड़ )			
विवरण	2010-11	2009-10	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि (%)
ब्याज प्राप्तियां	19,718	21,784	(-9%)
लाभांश और लाभ	47,991	50,250	(-4%)
संघ राज्य क्षेत्रों के करेतर राजस्व	1,097	1,218	(-10%)
अन्य करेतर राजस्व	149,796	43,023	248%
<b>कुल करेतर राजस्व</b>	<b>218,602</b>	<b>116,275</b>	<b>88%</b>

### ब्याज प्राप्तियां ( सकल )

ब्याज प्राप्तियां सरकार के करेतर राजस्वों का एक मुख्य स्रोत है। ब्याज मुख्यतः संघ सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रदान किए गए कर्जों से प्राप्त होता है। यह अकेले कुल ब्याज प्राप्तियों का 30% होता है। रेलवे (14%) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (17%) अन्य महत्वपूर्ण अंशदाता हैं।

वर्ष 2010-11 के दौरान कुल ब्याज प्राप्तियां (सकल) ₹ 35,299 करोड़ थीं जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से ₹ 550 करोड़ (1.53%) कम थीं। रेलवे और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से ब्याज प्राप्तियों में क्रमशः ₹ 602 करोड़ तथा ₹ 947 करोड़ की कमी आई है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य स्रोतों से ब्याज प्राप्तियों में क्रमशः ₹ 584 करोड़ और ₹ 416 करोड़ की वृद्धि हुई है।

ब्याज प्राप्तियां ( सकल ) ( ₹ करोड़ )				
स्रोत	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	10,496	11,443	12,204	14,903
रेलवे	4,916	5,518	4,692	4,877
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	161	162	163	166
सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम	5,966	5,382	2,314	3,541
अन्य	13,760	13,344	11,473	11,125
<b>कुल</b>	<b>35,299</b>	<b>35,849</b>	<b>30,846</b>	<b>34,612</b>

### लाभांश

वर्ष 2010-11 के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ₹ 47,991 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ जो कि 2009-10 के दौरान प्राप्त लाभांश की अपेक्षा ₹ 2,259 करोड़ कम है।

लाभांश - मुख्य स्रोत ( ₹ करोड़ )				
मुख्य स्रोत	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम	24,695	20,198	19,788	20,712
भारतीय जीवन बीमा निगम	1,031	929	829	829
राष्ट्रीयकृत बैंक	3,354	3,981	2,944	1,458
भारतीय रिजर्व बैंक	18,759	25,009	15,011	11,411

## लेखे एक नज़र में

### ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां

ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां मुख्यतः सरकार की परिसंपत्तियों की विक्रय आय होती हैं जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की शेयर पूंजी का विनिवेश शामिल होता है। वर्ष 2010-11 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के कारण ₹ 1,676 करोड़ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के प्रीमियम से ₹ 20,601 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।

पूंजीगत प्राप्तियां ( ₹ करोड़ )				
स्रोत	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों का विनिवेश	1,676	2,233	22	4,387
सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों के विनिवेश पर प्राप्त प्रीमियम	20,601	21,366	-	-
अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	569	983	544	34,408
<b>कुल</b>	<b>22,846</b>	<b>24,582</b>	<b>566</b>	<b>38,795</b>

वाणिज्यिक प्राप्तियों के विवरण और संघ सरकार के करेतर राजस्व को दर्शाने वाला विवरण क्रमशः परिशिष्ट-2 और परिशिष्ट-3 पर है।

## व्यय

वर्ष 2010-2011 के दौरान, सरकार का कुल व्यय ₹ 1,197,328 करोड़ था। व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 172,840 करोड़ [17%] की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय ₹ 1,040,723 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹ 128,913 करोड़ [14%] की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय ₹ 156,605 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹ 43,927 करोड़ [39%] की वृद्धि हुई। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का भाग 13% था।

व्यय ( ₹ करोड़ )							
विवरण	2010-11			2009-10			वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल	
राजस्व	314,232	726,491	1,040,723	253,887	657,923	911,810	14%
सामान्य सेवाएं	486	428,429	428,915	388	402,979	403,367	6%
सामाजिक सेवाएं	81,219	36,846	118,065	62,833	34,332	97,165	22%
आर्थिक सेवाएं	124,822	209,170	333,992	95,264	173,079	268,343	24%
सहायता अनुदान	107,705	52,046	159,751	95,402	47,533	142,935	12%
<b>पूंजीगत</b>	<b>64,833</b>	<b>91,772</b>	<b>156,605</b>	<b>49,506</b>	<b>63,172</b>	<b>112,678</b>	<b>39%</b>
सामान्य सेवाएं	762	70,171	70,933	780	57,535	58,315	22%
सामाजिक सेवाएं	3,894	75	3,969	3,333	237	3,570	11%
आर्थिक सेवाएं	41,585	15,133	56,718	30,890	4,258	35,148	61%
कर्ज एवं अग्रिम	18,592	6,393	24,985	14,503	1,142	15,645	60%
<b>कुल व्यय</b>	<b>379,065</b>	<b>818,263</b>	<b>1,197,328</b>	<b>303,393</b>	<b>721,095</b>	<b>1,024,488</b>	<b>17%</b>

₹ 156,605 करोड़ के कुल पूंजीगत व्यय में से ₹ 131,620 करोड़ (84%) परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय किए गए, शेष कर्ज एवं अग्रिम (16%) के रूप में थे।


पूंजीगत व्यय ( ₹ करोड़ )							
	परिसंपत्ति निर्माण		ऋण की पुनर्अदायगी*		कर्ज एवं अग्रिम		कुल
2000-01	24,745	52%			23,009	48%	47,754
2001-02	29,771	49%			31,071	51%	60,842
2002-03	29,101	39%	13,766	18%	31,668	42%	74,535
2003-04	35,678	32%	46,211	42%	28,739	26%	110,628
2004-05	40,549	36%	32,675	29%	40,107	35%	113,331
2005-06	53,869	81%			12,493	19%	66,362
2006-07	58,759	85%			10,019	15%	68,778
2007-08	106,940	90%			11,298	10%	118,238
2008-09	75,572	84%			14,586	16%	90,158
2009-10	97,032	86%			15,346	14%	112,378
2010-11	131,620	84%			24,985	16%	156,605

\*नए ऋण में शामिल न किए गए ऋण की पुनर्अदायगी को दर्शाता है।

## लेखे एक नज़र में

### क्षेत्रवार आबंटन

समग्र रूप से, सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹ 499,848 करोड़ (कुल व्यय का 42%) था। इसमें राज्यों के अंग, राजकोषीय सेवाओं, पेंशनों, रक्षा आदि पर व्यय शामिल है। सामाजिक सेवाओं पर व्यय ₹ 122,034 करोड़ (कुल व्यय का 10%) और आर्थिक सेवाओं पर ₹ 390,710 करोड़ (कुल व्यय का 33%) था। राज्य सरकारों, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं और विभिन्न अन्य निकायों को सहायता अनुदान के रूप में ₹ 159,751 करोड़ (कुल व्यय का 13%) जारी किए गए थे। वर्ष के दौरान ₹ 24,985 करोड़ (कुल व्यय का 2%) के कर्ज और अग्रिम प्रदान किए गए।



### योजना व्यय

2010-11 के दौरान योजना व्यय ₹ 379,065 करोड़ था। पिछले वर्ष के ₹ 303,393 करोड़ की तुलना में, योजना व्यय में 25% की वृद्धि हुई।

₹ 1,000 करोड़ से अधिक की बजट सहायता वाली मुख्य योजना स्कीमों पर हुए व्यय को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-4 पर है।

### योजनेतर व्यय

वर्ष 2010-11 के दौरान योजनेतर व्यय पिछले वर्ष के ₹ 721,095 करोड़ की तुलना में ₹ 818,263 करोड़ था जो 13% अधिक था। अकेले ब्याज अदायगियां (₹ 234,022 करोड़)

ही कुल योजनेतर व्यय का 29% लेखाबद्ध की गई। रक्षा व्यय (₹ 154,115 करोड़) और आर्थिक सहायताएं (₹ 177,147 करोड़) योजनेतर व्यय की अन्य प्रमुख मदें थीं।

योजनेतर व्यय - मुख्य संघटक (₹ करोड़)					
विवरण	2010-11		2009-10		वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
ब्याज	234,022	29%	213,093	29%	10%
आर्थिक सहायताएं	177,747	22%	129,722	18%	37%
रक्षा	154,115	19%	141,781	20%	9%
पेंशन	57,405	7%	56,149	8%	2%
पुलिस	32,208	4%	31,124	4%	3%
सहायता अनुदान	52,046	6%	47,533	7%	9%
कर्ज	6,393	0%	1,142	0%	460%
अन्य	104,327	13%	100,551	14%	4%
<b>कुल</b>	<b>818,263</b>	<b>100%</b>	<b>721,095</b>	<b>100%</b>	<b>13%</b>

पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज अदायगियों में 10% की वृद्धि हुई जबकि रक्षा और सहायता अनुदान में 9%, की वृद्धि हुई। पेंशनों (₹ 57,405 करोड़) और पुलिस (₹ 32,208 करोड़) पर व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 2% और 3% की वृद्धि हुई। कर्जों पर व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 460% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई।

संघ सरकार के योजनेतर व्यय के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-5 पर है। वेतन एवं भत्ते योजनेतर व्यय के महत्वपूर्ण भाग हैं। वेतन एवं भत्तों पर मंत्रालय-वार/विभाग-वार दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-6 पर है।

### आर्थिक सहायताएं

आर्थिक सहायताओं पर व्यय वर्ष 2009-10 के ₹ 129,722 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 177,747 करोड़ हो गया, इसमें 37% की वृद्धि हुई। खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम पर आर्थिक सहायता क्रमशः ₹ 63,844 करोड़, ₹ 65,837 करोड़ तथा ₹ 38,371 करोड़ थी।

मुख्य आर्थिक सहायताएं (₹ करोड़)			
विवरण	2010-11	2009-10	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
खाद्य	63,844	58,443	9%
उर्वरक	65,837	61,636	7%
पेट्रोलियम	38,371	2,951	1200%
अन्य	9,695	6,692	45%
<b>कुल</b>	<b>177,747</b>	<b>129,722</b>	<b>37%</b>

खाद्य आर्थिक सहायता में 9% और उर्वरक आर्थिक सहायता में 7% की वृद्धि हुई जबकि पेट्रोलियम आर्थिक सहायता में 1200% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। ब्याज आर्थिक सहायता जैसी अन्य मदों में किसानों को अल्पावधि ऋण (₹ 3,531 करोड़) उपलब्ध कराने के लिए अधिक ब्याज सहायता दिए जाने के कारण आर्थिक सहायता के बिल में वृद्धि हुई। असम गैस परियोजना को भी आर्थिक सहायता में वृद्धि हुई (₹ 797 करोड़)। हज चार्टर परिचालन के लिए ₹ 870 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई।

आर्थिक सहायताओं के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-7 पर है।

## लेखे एक नज़र में

### निवल उधार

सरकारी उधार प्रक्रिया के मुख्य लाभग्राही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और विभिन्न सार्वजनिक निगम एवं संस्थाएं होती हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान, सरकार ने ₹ 40,641 करोड़ के नए कर्ज दिए और पिछले वर्षों में दिए गए कर्जों की पुनर्दायगी के रूप में ₹ 29,252 करोड़ प्राप्त किए। इस प्रकार, अग्रिमों के भंडार में ₹ 11,389 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई। वर्ष 2010-11 के अंत में, सरकार द्वारा दिए गए कर्ज ₹ 228,630 करोड़ थे।

सरकार द्वारा दिए गए उधार ( ₹ करोड़ )					
विवरण	01-अप्रैल-10	वृद्धियां	प्राप्तियां	31 मार्च 11	वृद्धि/कमी
राज्य सरकारें	143,152	10,227	9,209	144,170	1018
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें	895	72	118	849	(-)46
विदेशी सरकारें	4,037	484	289	4,232	195
सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, कृषक आदि	67,879	29,622	19,203	78,298	10,419
सरकारी कर्मचारी	1,278	236	433	1,081	(-)197
<b>कुल</b>	<b>217,241</b>	<b>40,641</b>	<b>29,252</b>	<b>228,630</b>	<b>11,389</b>

### निवेश

वर्ष के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में ₹ 52,033 करोड़ का निवेश किया गया। 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार कंपनियों में सरकार का कुल निवेश ₹ 328,307 करोड़ था।

कंपनियों आदि में सरकार का निवेश ( ₹ करोड़ )	
विवरण	निवेश की गई राशि
सांविधिक निगम	4,921
सरकारी कंपनियां	230,308
अंतर्राष्ट्रीय निकाय	48,873
राज्य सहकारी बैंक/अन्य बैंक	43,926
सहकारी समितियां	279
<b>कुल</b>	<b>328,307</b>


योजनेतर व्यय के मंत्रालय-वार/विभाग-वार ब्योरे परिशिष्ट-8 पर हैं।

## ऋण और अन्य देयताएं

राजस्व की अपेक्षा व्यय के आधिक्य को पूरा करने के लिए सरकार आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से उधार का सहारा लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अलावा, लोक लेखे में प्रोद्भवन भी सरकार के घाटे के बजट के वित्तपोषण के स्रोत के रूप में काम करता है।

31 मार्च, 2011 को सरकार की कुल देयताएं ₹ 3,411,211 करोड़ थीं। आंतरिक ऋण ₹ 2,667,115 करोड़ (78%), बाह्य ऋण [ऐतिहासिक मूल्य पर] ₹ 157,639 करोड़ (5%) और अन्य देयताएं ₹ 586,457 करोड़\* (17%) थीं।

### भारत सरकार के ऋण और अन्य देयताएं



31 मार्च, 2011 को कुल लोक ऋण [ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया बाह्य ऋण] ₹ 2,824,754 करोड़ था। लोक ऋण जोकि वर्ष के आरंभ में ₹ 2,462,422 करोड़ था उसमें वर्ष के दौरान 15% की वृद्धि हुई। लोक ऋण 31.3.2011 को चालू विनिमय दर पर ₹ 2,945,992 करोड़ था जबकि 31.3.2010 को यह ₹ 2,577,645 करोड़ था।

\*31.3.2011 को लोक लेखे में केंद्र सरकार की कुल देयता ₹ 1,114,020 करोड़ थी। इसमें से, ₹ 526,063 करोड़ राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में और ₹ 1,500 करोड़ आईआईएफसीएल में निवेश किए गए और इस प्रकार इस संबंध में ₹ 586,457 करोड़ की बकाया निवल देयता है।

## लेखे एक नज़र में

### आंतरिक ऋण

आंतरिक ऋण के मुख्य संघटक बाजार कर्ज, भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां, 1.4.1999 से अल्प बचतों के निवल संग्रहण की तुलना में केंद्र सरकार को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, प्रतिपूर्ति और अन्य बांड आदि हैं। इसके अतिरिक्त, खजाना बिलों से उधार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि को जारी की गई प्रतिभूतियां भी आंतरिक ऋण का भाग होती हैं।

वर्ष के आरंभ में आंतरिक ऋण का कुल भंडार, ₹ 2,328,339 करोड़ से बढ़कर वर्ष के अंत में ₹ 2,667,115 करोड़ हो गया। बाजार कर्ज में ₹ 325,414 करोड़ की वृद्धि होकर ₹ 2,072,033 करोड़ हो गया।

आंतरिक ऋण ( ₹ करोड़ )					
स्रोत	01 अप्रैल 10	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 11	वृद्धि/कमी
बाजार कर्ज	1,746,619	437,000	111,586	2,072,033	325,414
अ.वि.सं. को जारी प्रतिभूतियां	24,482	9,216	4,383	29,315	4,833
364 दिन के खजाना बिल	41,493	42,482	41,497	42,478	985
14 दिन के खजाना बिल	95,668	2,217,300	2,209,868	103,100	7,432
विक्रेय प्रतिभूतियां	76,818	0	0	76,818	0
रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (31.3.99)	73,569	0	0	73,569	0
रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (1.4.99)	23,329	12,535	1,302	34,562	11,233
बाजार स्थिरीकरण स्कीम	2,737	0	2,737	0	(-)2,737
अन्य	243,624	423,243	431,627	235,240	(-)8,384
<b>कुल आंतरिक ऋण</b>	<b>2,328,339</b>	<b>3,141,776</b>	<b>2,803,000</b>	<b>2,667,115</b>	<b>338,776</b>

बाजार स्थिरीकरण स्कीम को मुख्य रूप से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा के अंतर्वाह के कारण बाजार में उपलब्ध अधिक चल निधि को आमेलित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2004-05 में शुरू किया गया था। 31.3.2011 को बाजार स्थिरीकरण स्कीम के अंतर्गत कोई बकाया शेष नहीं था।

ब्याजयुक्त बाजार कर्जों की परिपक्वता विवरणिका परिशिष्ट-9 पर है।

### बाह्य ऋण

2010-11 के अंत में बाह्य ऋण का भंडार [ऐतिहासिक विनिमय दरों पर] ₹ 157,639 करोड़ है जो कुल बकाया ऋण का 5.58% है। वर्तमान विनिमय दर पर [31.3.2011 की स्थिति के अनुसार] यह ₹ 278,877 करोड़ है - इसमें 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार बकाया ₹ 249,306 करोड़ में ₹ 29,571 करोड़ की वृद्धि हुई।

बाह्य ऋण ( ₹ करोड़ )						
स्रोत	ऐतिहासिक विनिमय दरों पर					
	01-अप्रैल-10	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-11	वृद्धि/कमी	वर्तमान मूल्य
आई.डी.ए.	51,529	4,066	3,834	51,761	232	119,066
जापान	27,038	7,599	3,275	31,362	4,324	65,907
एशियाई विकास बैंक	24,999	5,621	814	29,806	4,807	30,455
जर्मनी	1,570	776	416	1,930	360	11,899
आई बी आर डी	27,535	12,263	2,120	37,678	10,143	39,219
आई एफ ए डी	495	71	50	516	21	1,397
संयुक्त राज्य अमेरिका	(-)4,087	2,865	215	(-)1,437	2,650	1,489
अन्य	5004	2069	1,050	6,023	1019	9,445
<b>कुल बाह्य ऋण</b>	<b>134,083</b>	<b>35,330</b>	<b>11,774</b>	<b>157,639</b>	<b>23,556</b>	<b>278,877</b>

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण ( ₹ करोड़ )						
स्रोत	मुद्रा	01-अप्रैल-10	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-11	वृद्धि/कमी
एडीबी	अमरीकी डालर	572	127	18	681	119
जर्मनी	यूरो	183	13	7	189	6
आईबीआरडी	अमरीकी डालर	640	284	46	878	238
आईडीए	अमरीकी डालर	375	0	25	350	(-)25
आईडीए	एसडीआर	1,430	70	39	1,461	31
जापान	येन	115,374	11,170	6,099	120,445	5,071
रूसी परिसंघ	₹	771	0	40	731	(-)40
रूसी परिसंघ	अमरीकी डालर	153	15	17	151	(-)2

### लोक लेखे की देयताएं

31.3.2011 को लोक लेखे में ₹ 586,457 करोड़ की कुल देयताएं थीं। ब्याज वाली देयताएं ₹ 528,118 करोड़ की थीं और शेष ₹ 58,340 करोड़ की बिना ब्याज वाली देयताएं थीं।

लोक लेखे की देयताएं ( ₹ करोड़ )					
विवरण	01-अप्रैल-10	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-11	वृद्धि/कमी
अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	463,826	403,485	409,615	457,696	(-)6,130
अन्य ब्याज वाली	72,875	40,429	42,883	70,421	(-)2,453
आरक्षित निधि	4,848	23,242	27,617	473	(-)4,374
जमा	68,027	17,187	15,266	69,948	1,921
अन्य बिना ब्याज वाली	46,578	185,745	173,983	58,340	11,762
आरक्षित निधियां	15,821	97,591	92,269	21,143	5,322
जमा	30,757	88,154	81,714	37,197	6,440
<b>कुल</b>	<b>583,279</b>	<b>629,659</b>	<b>626,481</b>	<b>586,457</b>	<b>3,179</b>

## लेखे एक नज़र में

### राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

भारत के लोक लेखे में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को 1.4.1999 को स्थापित किया गया था। इस निधि में धन विभिन्न अल्प बचत स्कीमों के अभिदाताओं से प्राप्त किया जाता है और इसमें उपलब्ध शेष को केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इसमें निवेश का स्वरूप भारत सरकार के समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होता है। 1 अप्रैल, 2002 से, अल्प बचतों के समग्र निवल संग्रहण को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त संग्रहणों के अनुपात में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) की विशेष प्रतिभूतियों में पुनः निवेश किया जाता है।

वर्ष 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि संग्रहण [निवल] ₹ 124,093 करोड़ था जिसमें से ₹ 43,301 करोड़ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किए गए थे। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में ₹ 1,302 करोड़ की पुनर्अदायगी भी की गई। इस अवधि के दौरान निधि की आय [इसके निवेशों पर] और व्यय क्रमशः ₹ 65,438 करोड़ और ₹ 72,360 करोड़ था। इस प्रकार, इस निधि का शेष जो कि वर्ष के आरंभ में ₹ 36,931 करोड़ था वह वर्ष के अंत में घटकर ₹ 34,129 करोड़ हो गया।

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि ( ₹ करोड़ )					
विवरण	01-अप्रैल-10	वृद्धियां	उन्मोचन	31-मार्च-11	वृद्धि/कमी
<b>अंतर्वाह</b>	<b>728,445</b>	<b>340,159</b>	<b>216,066</b>	<b>852,538</b>	<b>124,093</b>
संग्रहण	728,455	340,159	216,066	852,538	124,093
बचत जमा	362,280	211,419	179,806	393,893	31,613
बचत प्रमाण पत्र	209,583	31,388	26,858	214,113	4,530
लोक भविष्य निधि	156,582	31,912	9,402	179,092	22,510
निवेश से आय	0	65,438	0	65,438	65,438
<b>बहिर्वाह</b>	<b>691,514</b>	<b>16,404</b>	<b>143,299</b>	<b>818,409</b>	<b>126,895</b>
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का निवेश	691,514	16,404	143,299	818,409	126,895
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	207,252	1,302	12,536	218,486	11,234
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	482,762	15,102	58,403	526,063	43,301
अन्य लिखतों के अंतर्गत निवेश	1500	0	0	1,500	1500
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का व्यय	0		72,360	72,360	72,360
<b>शेष</b>	<b>36,931</b>	<b>323,755</b>	<b>72,767</b>	<b>34,129</b>	<b>(-),2,802</b>

31 मार्च, 2011 को इस स्कीम के अभिदाताओं के प्रति, निधि के कुल भंडार में ₹ 852,538 करोड़ की देयताएं थीं, जिसमें से ₹ 393,893 करोड़ बचत जमाओं के लिए, ₹ 214,113 करोड़ बचत प्रमाण पत्रों के लिए और ₹ 179,092 करोड़ लोक भविष्य निधि के रूप में रखे गए हैं। वर्ष 2010-11 के अंत में निधि का निवेश ₹ 818,409 करोड़ था, जिसमें से ₹ 526,063 करोड़ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में, ₹ 218,486 करोड़ केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में और शेष ₹ 1,500 करोड़, अन्य लिखतों में निवेश किए गए हैं।

### आकस्मिक देयताएं

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा निर्धारित करे, गारंटियां दे सकती है। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली में यह अनुबद्ध किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में सरकार सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक धनराशि के लिए गारंटी नहीं देगी।

गारंटियों का विवरण 01.04.2010 से प्रभावी संगत 'भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों' के अनुसरण में है।

इन प्रावधानों के अधीन, सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को उनके उधारों की पुनर्दायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, उनके शेयर पूंजी की पुनर्दायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी तथा उधार के आधार पर सामग्रियों और उपस्कर की आपूर्तियों के लिए अदायगी आदि की गारंटी देती है। इन गारंटियों में सरकार की ऐसी आकस्मिक देयताओं को शामिल किया जाता है जिन्हें ऐसी गारंटियों के लाभार्थियों द्वारा कोई चूक होने की स्थिति में भारत की समेकित निधि से उन्मोचित किया जाना होता है।

वर्ष 2010-11 के दौरान, सरकार द्वारा ₹ 160,611 करोड़ की अधिकतम राशि की गारंटी दी गई थी जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.09% थी। 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार ₹ 151,292 करोड़ की गारंटियां बकाया थीं। वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों में ₹ 13,248 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2009-10 के दौरान वसूल किए गए ₹ 446 करोड़ की तुलना में सरकार ने गारंटी शुल्क के रूप में ₹ 530 करोड़ वसूल किए।

सरकार की गारंटियां ( ₹ करोड़ )				
विवरण	31-मार्च-10	31-मार्च-11	वृद्धि/कमी	
I भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को मूलधन और ब्याज आदि की पुनर्दायगी के लिए गारंटियां	55,426	54,272	(-)	1,154
II सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थाओं को शेयर पूंजी की पुनर्दायगी, न्यूनतम लाभांश की अदायगी, बांडों/कर्जों आदि की पुनर्दायगी के लिए गारंटियां	9,155	7,967	[ - ]	1,188
III मूलधन की पुनर्दायगी, कर्ज आदि पर ब्याज/प्रतिबद्धता प्रभारों की अदायगी और कंपनियों, निगमों, पत्तन न्यासों आदि को आपूर्ति के लिए करारों के प्रति अदायगी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता अभिकरणों, विदेशी सरकारों आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में गारंटियां	72,407	88,432		16,025
IV कंपनियों/निगमों को आपूर्तियों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को प्राधिकार पत्रों के लिए बैंकों को प्रति-गारंटियां	621	621		—
V रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को	—	—		—
VI विदेशों में भारतीय कंपनियों को प्रदान की गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निष्पादन गारंटियां	—	—		—
VII अन्य	255	—		(-)255
<b>कुल</b>	<b>137,864</b>	<b>151,292</b>		<b>13,248</b>

## लेखे एक नज़र में

### विनियोग लेखे

वर्ष 2010-11 के लिए संसद ने संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों के लिए 98 अनुदानों के अंतर्गत ₹ 4,497,866 करोड़ के कुल प्रावधान को अनुमोदन प्रदान किया। इस प्रावधान को वर्ष के दौरान ₹ 4,683,839 करोड़ के पूरक अनुदान आदि के माध्यम से बढ़ाकर ₹ 1,85,973 करोड़ कर दिया गया। ₹ 4,683,839 करोड़ का अंतिम प्रावधान पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 327,527 करोड़ [8%], अधिक था।

इस प्रावधान की तुलना में वर्ष के दौरान किया गया वास्तविक व्यय ₹ 4,023,332 करोड़ था। प्रभारित अंश के अंतर्गत व्यय ₹ 3,104,657 करोड़ की बचत सहित ₹ 593,118 करोड़ था जबकि स्वीकृत अंश के अंतर्गत व्यय ₹ 918,675 करोड़ की बचत सहित ₹ 67,389 करोड़ था।

विनियोग लेखे ( सिविल ) का सार ( ₹ करोड़ )					
	मूल प्रावधान (1)	अंतिम प्रावधान (2)	अंतर (3) = (2) - (1)	वास्तविक व्यय (4)	अंतर (5) = (4) - (2)
प्रभारित	3,678,497	3,697,775	19,278	3,104,657	(-) 593,118
स्वीकृत	819,369	986,064	166,695	918,675	(-) 67,389
<b>कुल</b>	<b>4,497,866</b>	<b>4,683,839</b>	<b>185,973</b>	<b>4,023,332</b>	<b>(-) 660,507</b>

स्वीकृत व्यय कुल व्यय का 23% था, शेष 77% प्रभारित व्यय था।

### प्रभारित व्यय

वर्ष 2010-11 के दौरान सिविल मंत्रालयों के प्रभारित व्यय में मुख्य रूप से ऋण की पुनर्अदायगी (₹ 2,814,774 करोड़), ब्याज अदायगियां (₹ 244,743 करोड़) और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण (₹ 41,728 करोड़) शामिल थे। ये तीनों मिलकर कुल प्रभारित व्यय का 99.89% था। विनियोग - “ऋण की पुनर्अदायगी” में विभिन्न परिपक्वताओं के खजाना बिलों के उन्मोचन और अर्थोपाय अग्रिमों पर ₹ 2,658,007 करोड़ की राशि शामिल है।

### अधिक व्यय

अनुदानों के राजस्व भाग के प्रभारित और स्वीकृत अंश तथा पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश के अंतर्गत कुल प्रावधानों से अधिक व्यय होने के सात मामले थे। बड़ी मात्रा में अधिक व्यय अनुदान संख्या 21-रक्षा पेंशन के अंतर्गत हुआ, जहां राजस्व भाग के अंतर्गत प्रावधान ₹ 3,336.31 करोड़ अधिक हो गया।

समस्त प्रावधान की अपेक्षा अधिक व्यय ( ₹ करोड़ )							
अनुदान सं.	अनुदान/विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		वास्तविक व्यय		अधिक व्यय	
		राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
11	वाणिज्य विभाग	-	682.99	-	689.56	-	6.57
21	रक्षा पेंशन	-	-	-	-	-	-
	प्रभारित स्वीकृत	0.25	-	0.36	-	0.11	-
		33999.75	-	37336.06	-	3336.31	-
31	विदेश मंत्रालय	6247.97	872.00	6254.29	898.98	6.32	26.98
101	लोक निर्माण कार्य	1071.26	-	1079.06	-	7.80	-
102	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	-	0.13	-	0.15	-	0.02

### बचत

वर्ष 2010-11 के दौरान, सिविल अनुदानों/विनियोगों के संबंध में ₹ 663,890 करोड़ की बचत हुई। कुल ₹ 3,384 करोड़ का अधिक व्यय भी हुआ। निम्नलिखित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचतें हुईं।

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचतें ( ₹ करोड़ )	कारण
सं.	विवरण			
5	नाभिकीय विद्युत स्कीमें	पूँजीगत स्वीकृत	1052	विनिर्माण और असेम्बली के दौरान आड़े आई तकनीकी दिक्कतों के मद्देनजर मुख्य कार्य-कलापों के पूरा न हो पाने तथा पूर्तिकर्ताओं की अनुपलब्धता की वजह से आदेशों को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने के कारण हुई।
11	वाणिज्य विभाग	राजस्व स्वीकृत	1389	नीति निर्वचन समिति, विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने की वजह से दावों के अनुपयुक्त होने के कारण हुई।
14	दूरसंचार विभाग	पूँजीगत स्वीकृत	1592	“मुख्य भूमि और अंडमान निकोबार के बीच समुद्र में केबल बिछाना” नामक स्कीम के ब्यौरे को अंतिम रूप न दिए जाने तथा “ऑप्टिकल फाइबर केबल स्कीम” के अंतर्गत सेना और नौसेना द्वारा किया जाने वाला कार्य न हो पाने के कारण हुई।
32	आर्थिक कार्य विभाग	पूँजीगत स्वीकृत	2452	भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान धारित राशि से एसडीआर (विशेष जमा प्राप्ति) के अंतरण और एसडीआर खरीदने के लिए इस नकदी का उपयोग करते हुए एसडीआर की तदनु रूप पुनः पूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न किए जाने के कारण हुई।
33	वित्तीय सेवाएं विभाग	राजस्व स्वीकृत	1812	स्कीमों के संशोधनाधीन होने और नोडल एजेंसियों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।
34	विनियोग-ब्याज अदायगियां	राजस्व प्रभारित	6921	बाजार कर्जों की कम उगाही किए जाने और राज्य सरकारों द्वारा निवेशों को मध्यवर्ती खजाना बिलों से नीलामी आधारित खजाना बिलों को अंतरित किए जाने के कारण हुई।

## लेखे एक नज़र में

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचतें ( ₹ करोड़ )	कारण
सं.	विवरण			
35	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को अंतरण	राजस्व प्रभारित	1125	कुछ राज्य सरकारों द्वारा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों और राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के गठन और प्रशासन संबंधी दिशा-निर्देशों को पूरा न किए जाने के कारण हुई।
		पूंजीगत प्रभारित	1200	आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और राज्य सरकारों से कर्ज आवेदन प्राप्त न होने के कारण हुई।
		राजस्व स्वीकृत	12464	राष्ट्रीय केन्द्रीय सहायता की अंतिम किस्त पर कटौती लगाए जाने, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने, परियोजनाएं वापस लिए जाने, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत स्कीम को शुरू किए जाने में विलंब होने और राष्ट्रीय निवेश निधि के अंतर्गत प्राप्ति की वसूलियों में कमी आने के कारण हुई।
37	ऋण की पुनर्दायगी	पूंजीगत प्रभारित	583785	अर्थोपाय अग्रिम भत्तों का कम सहारा लिए जाने और खजाना बिलों को जारी किए जाने के संबंध में कम अनुमान लगाए जाने तथा राज्य सरकारों द्वारा निवेशों का अंतरण मध्यवर्ती खजाना बिलों से नीलामी खजाना बिलों को किए जाने के कारण हुई।
53	पुलिस	पूंजीगत स्वीकृत	2467	भूमि अधिग्रहण, मशीनरी और उपकरणों तथा मोटर वाहनों के प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने और पूर्तिकर्ताओं द्वारा भण्डारों की पूर्ति न किए जाने के कारण हुई।
58	उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व स्वीकृत	3217	प्रतिभागी संस्थानों के चयन के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।
74	विद्युत मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	3838	विनिवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।
		पूंजीगत स्वीकृत	1960	अन्य स्रोतों से सस्ते कर्ज उपलब्ध होने की वजह से भाग-ख के लिए कर्ज आहरित करने के लिए कुछ राज्यों के इच्छुक न होने और कोयला धारित क्षेत्रों की भूमि के अधिग्रहण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।
81	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व स्वीकृत	17919	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने और पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

₹100 करोड़ और इससे अधिक की बचत वाले अनुदान / विनियोग का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-10 पर है।

## परिशिष्ट

1. दस वर्षीय सारांश .....	35
2. करेतर राजस्वों का विवरण .....	37
3. वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण .....	38
4. ₹1000 करोड़ से अधिक की बजट सहायता वाली मुख्य योजना .....	39
स्कीमों पर व्यय	
5. योजनेतर व्यय का विवरण .....	42
6. वेतन और भत्तों पर व्यय .....	44
7. आर्थिक सहायताओं का विवरण .....	50
8. मंत्रालयों और विभागों का व्यय .....	54
9. ब्याज वाले बाजार कर्जों का परिपक्वता ब्योरा .....	69
10. ₹100 करोड़ तथा इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग .....	70

लेखे एक नज़र में

## दस वषीय सारांश

(₹करोड़)

	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
राजस्व प्राप्तियां	201,449	230,803	265,054	306,013	347,462	434,387	541,925	540,259	572,811	788,471
सकल कर राजस्व	187,060	216,266	254,348	304,958	364,649	471,512	591,347	603,498	621,368	789,172
निगम कर	36,609	46,172	63,562	82,680	101,277	144,306	192,911	213,395	244,725	298,688
आय कर	32,004	36,866	41,379	49,258	55,976	75,093	102,644	106,046	122,370	139,102
सीमा शुल्क	40,268	44,852	48,629	57,611	65,067	86,327	104,119	99,879	83,324	135,813
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	72,555	82,310	90,774	99,125	111,226	117,612	123,425	108,402	102,991	137,701
सेवा कर	3,302	4,122	7,891	14,200	23,055	37,597	51,301	60,941	58,422	71,016
केन्द्र को निवल कर राजस्व	133,662	159,425	186,982	224,798	270,264	351,182	439,547	443,319	456,536	569,869
करेतर राजस्व	67,787	71,379	78,072	81,215	77,198	83,205	102,378	96,940	116,275	218,602
ब्याज प्राप्तियां	35,538	37,622	38,538	35,714	22,032	21,371	21,061	20,717	21,783	19,718
लाभांश और लाभ	17,290	21,230	21,160	22,939	25,451	29,309	34,500	38,607	50,250	47,991
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां	3,646	3,151	16,953	66,467	12,226	6,426	43,895	6,705	33,194	35,266
विनिवेश से आय	3,646	3,149	16,632	4,364	1,570	-	4,387	22	2,233	1,676
व्यय	362,453	399,451	472,444	497,682	506,123	583,386	712,732	883,956	1,024,488	1,197,328
योजना व्यय	101,194	111,470	122,280	132,292	140,638	169,860	205,082	275,235	303,393	379,065
योजनेतर व्यय	261,259	287,981	350,164	365,390	365,485	413,526	507,650	608,721	721,095	818,263
राजस्व व्यय	301,611	338,682	363,316	384,351	439,761	514,608	594,494	793,798	911,810	1,040,723
पूंजीगत व्यय	60,842	60,769	109,128	44,798	66,362	68,778	118,238	90,158	112,678	156,605
उधार ऋणात्मक पुनर्भूतदायगी	17,880	(-),2,523	(-),38,497	663	692	(8,672)	1,385	1,077	3,382	11,388
राजकोषीय घाटा	140,954	131,306	123,272	125,202	146,435	142,573	126,912	336,992	418,483	373,591
राजस्व घाटा	100,162	107,879	98,262	78,338	92,299	80,221	52,569	253,539	338,999	252,252
प्रारंभिक घाटा	33,494	13,816	(-),816	(-),1,732	13,805	(-),7,699	(44,118)	144,788	205,390	139,569
लोक ऋण (शेष)	1,112,957	1,216,757	1,325,909	1,467,242	1,583,957	1,746,207	2,009,755	2,283,900	2,577,645	2,945,992
आंतरिक ऋण	913,061	1,020,689	1,141,706	1,275,971	1,389,758	1,544,975	1,799,651	2,019,841	2,328,339	2,667,115
बाह्य ऋण (वर्तमान मूल्य)	199,896	196,068	184,203	191,271	194,199	201,232	210,104	264,059	249,306	278,877
भारत सरकार की अन्य देयताएं	286,582	331,419	333,725	356,037	384,842	438,842	466,602	556,235	583,279	586,457
<b>सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशतता</b>										
राजस्व प्राप्तियां	8.8	9.4	9.6	9.8	9.7	10.5	11.50	9.96	9.29	10.27
सकल कर राजस्व	8.1	8.8	9.2	9.8	10.2	11.4	12.55	11.12	10.08	10.28
करेतर राजस्व	3.0	2.9	2.8	2.6	2.2	2.0	2.17	1.79	1.89	2.85
व्यय	15.8	16.2	17.1	15.9	14.2	14.1	15.12	16.29	16.62	15.60
राजस्व व्यय	13.1	13.7	13.2	12.3	12.3	12.5	12.61	14.63	14.79	13.56
पूंजीगत व्यय	2.7	2.5	4.0	3.6	1.9	1.7	2.51	1.66	1.83	2.04
राजकोषीय घाटा	6.1	5.3	4.5	4.0	4.1	3.5	2.69	6.21	6.79	4.87
राजस्व घाटा	4.4	4.4	3.6	2.5	2.6	1.9	1.12	4.67	5.50	3.29
लोक ऋण	48.5	49.3	48.0	47.0	44.4	42.3	42.64	42.09	41.82	38.39
आंतरिक ऋण	39.8	41.3	41.4	40.9	39.0	37.5	38.18	37.22	37.77	34.75
बाह्य ऋण	8.7	7.9	6.7	6.1	5.4	4.9	4.46	4.87	4.04	3.63

परिशिष्ट-2

करेतर राजस्व

(₹ करोड़)

विवरण	2010-11			2009-10		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
<b>क ब्याज प्राप्तियां</b>						
सकल	33082.88	35286.69	107	24553.42	35849.38	146
घटाएं- बाजार उधारों की आनुषंगिक प्राप्तियां	8445.39	10659.11	126	1883.67	10607.37	563
ब्याज का अधित्याग	4909.56	4909.53	100	3458.22	3458.22	100
निवल	<b>19727.93</b>	<b>19718.05</b>	<b>100</b>	<b>19211.53</b>	<b>21783.79</b>	<b>113</b>
<b>ख लाभांश और लाभ</b>	<b>48726.76</b>	<b>47991.58</b>	<b>98</b>	<b>51982.80</b>	<b>50249.78</b>	<b>97</b>
<b>ग संघ राज्य क्षेत्रों के करेतर राजस्व</b>	<b>1142.84</b>	<b>1096.90</b>	<b>96</b>	<b>1073.05</b>	<b>1218.01</b>	<b>114</b>
<b>घ अन्य करेतर राजस्व</b>						
राजकोषीय सेवाएं-	192.88	83.88	43	149.04	113.24	76
अन्य सामान्य सेवाएं-सकल	21461.40	19156.90	89	22771.75	21647.36	95
घटाएं- बट्टे खाते डाले गए कर्ज, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	76.09	76.09	100	83.39	83.39	100
निवल	19285.31	19080.81	94	22688.36	21563.97	95
सामाजिक सेवाएं	730.52	771.08	106	664.66	671.82	101
आर्थिक सेवाएं -						
सकल	150404.06	150607.96	100	40823.76	42707.03	105
घटाएं- कर्जों/ब्याज का अधित्याग	3204.64	3204.64	100	3610.68	3610.68	100
अन्य सामान्य सेवाओं से प्राप्ति	4.50	4.47	99			
निवल	147194.92	147398.85	100	37213.08	39096.35	105
सहायता अनुदान एवं अंशदान	2755.63	2672.69	97	3077.59	3141.45	102
<b>कुल अन्य करेतर राजस्व</b>	<b>170159.26</b>	<b>170007.31</b>	<b>99</b>	<b>63792.73</b>	<b>64586.83</b>	<b>101</b>
घटाएं						
वाणिज्यिक विभाग	19608.58	20211.66	103	21955.78	21563.20	98
निवल अन्य करेतर राजस्व	<b>150550.68</b>	<b>149795.65</b>	<b>99</b>	<b>39923.46</b>	<b>43023.63</b>	<b>108</b>
<b>कुल</b>	<b>220148.21</b>	<b>218602.18</b>	<b>99</b>	<b>112190.84</b>	<b>116275.21</b>	<b>104</b>

## वाणिज्यिक प्राप्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	2010-11			2009-10		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
<b>सामान्य सेवाएं</b>						
1 कैटीन स्टोर विभाग	<b>9000.00</b>	<b>9550.32</b>	<b>102.70</b>	<b>8500.00</b>	<b>8729.55</b>	<b>102.70</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>						
2 दिल्ली दुग्ध योजना	300.32	292.75	90.01	295.14	265.67	90.01
3 अफीम एवं एल्केलायड फैक्ट्रियां	285.15	237.54	99.63	300.97	299.86	99.63
4 ईंधन संरचना सुविधा*	1179.79	1214.20	86.74	938.84	299.86	86.74
5 ईंधन माल सूची*	1580.13	1599.29	74.28	1326.97	985.63	74.28
6 भारी पानी पूल प्रबंधन*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र	288.15	151.70	112.33	304.73	342.29	112.33
8 प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश पोत	160.00	203.53	100.98	150.00	151.47	100.98
9 डाक प्राप्तियां	6814.59	6962.33	95.64	6552.62	6266.70	95.64
10 भारतीय रेल	97151.30	96681.02	98.36	90713.07	89229.29	98.36
<b>कुल आर्थिक सेवाएं</b>	<b>107759.43</b>	<b>107342.36</b>	<b>97.79</b>	<b>100582.34</b>	<b>98355.30</b>	<b>97.79</b>
<b>कुल</b>	<b>116759.43</b>	<b>116892.68</b>	<b>98.17</b>	<b>109082.34</b>	<b>107084.85</b>	<b>98.17</b>

\* इन मामलों में वास्तविक आंकड़े परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अलग से प्रस्तुत किए गए अनुसार हैं।

परिशिष्ट-4

₹ 1000 करोड़ से अधिक की बजट सहायता वाली मुख्य योजना स्कीमों पर व्यय

(₹ करोड़)

क्रम सं.	स्कीमें	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
	<b>कृषि मंत्रालय</b>			
1	कृषि सूक्ष्म प्रबंधन स्कीम	1000.00	1000.00	999.82
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	6722.00	6722.00	6719.94
3	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1061.98	986.00	970.86
4	राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन	1000.00	981.97	997.25
5	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1350.00	1277.13	1276.34
	<b>नागर विमानन मंत्रालय</b>			
6	राष्ट्रीय विमानन कंपनी इंडिया लिमिटेड	1200.00	1200.00	1200.00
	<b>सूचना प्रौद्योगिकी विभाग</b>			
7	इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन	1030.00	583.53	260.09
	<b>वित्त मंत्रालय</b>			
8	असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा	1000.00	1000.00	0.00
9	सामान्य केंद्रीय सहायता	21728.00	21128.00	20007.67
10	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	2387.81	13000.00	13344.65
11	अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	1000.00	1836.47	1664.34
12	विशेष योजना सहायता	4500.00	8157.00	7085.52
13	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और जल संसाधन कार्यक्रम	11500.00	9500.00	8757.53
14	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	5710.00	5110.00	5110.00
15	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि - राज्य संघटक	2250.00	2130.00	2130.00
16	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	11619.00	7560.00	5284.84
17	बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा मिटाने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	1200.00	1000.00	1107.62
	<b>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय</b>			
18	यौन संचारित रोग नियंत्रण सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण	1435.00	1400.20	1167.21
19	एनआरएचएम, केंद्रीय रूप से प्रायोजित	15127.64	14614.16	14380.42
20	सामान्य सहायता, संघ, राज्य क्षेत्र योजनाएं	1401.10	335.41	397.91

(₹ करोड़)				
क्रम सं.	स्कीमें	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
	<b>मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>			
21	विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	9440.00	9440.00	8927.56
22	सर्व शिक्षा अभियान	15000.00	19000.00	19633.75
23	नवोदय विद्यालय समिति	1385.00	1285.00	1285.00
24	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	1700.00	1500.00	1481.97
25	प्रौढ शिक्षा एवं कौशल विकास	1167.00	388.50	370.68
26	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता डीएचई	1980.00	1830.00	1899.80
27	अन्य डीएचई	2350.00	2225.00	2356.00
	<b>अल्पसंख्यक मामले</b>			
28	चुनिंदा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	1400.00	1327.82	913.46
	<b>पंचायती राज</b>			
29	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना	5050.00	5050.00	6550.00
	<b>यूआईडीएआई</b>			
30	यूआईडीएआई	1900.00	960.66	268.41
	<b>विद्युत</b>			
31	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	5500.00	5000.00	5000.00
32	त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम	3700.00	2571.00	2346.42
	<b>सड़क परिवहन और राजमार्ग</b>			
33	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (टोल पावती का प्रेषण)	1623.00	1623.00	1558.62
34	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-निवेश	7848.98	7848.98	8440.94
35	अन्य स्कीमें - राष्ट्रीय राजमार्ग	4025.10	4573.10	4498.37
36	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम	1500.00	1500.00	664.41
37	सड़कें और सेतु	1819.17	1935.52	2396.57
38	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय सड़क द्वारा सड़क संपर्क के विकास का विशेष कार्यक्रम	1000.00	750.00	718.10
	<b>ग्रामीण विकास</b>			
39	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	40100.00	40100.00	35832.05
40	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2984.00	2984.00	2665.70
41				

(₹ करोड़)

क्रम सं.	स्कीमें	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
42	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास	10000.00	10337.50	10337.45
43	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पेयजल पूर्ति विभाग	12000.00	22000.00	22404.44
44	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	9000.00	9000.00	8985.18
45	केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भू-संसाधन विभाग	1580.00	1580.00	1579.24
46	एकीकृत जल शेड प्रबंधन कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी	2458.00	2458.00	2455.26
47	सीएसआईआर को सहायता (राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं) सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1335.00	1304.50	1302.50
48	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	1700.00	2000.00	2097.21
49	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम वस्त्र	1580.00	1700.00	1533.32
50	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम जनजातीय कार्य	2400.00	2900.00	2782.95
51	टीएसपी-2 सहायता अनुदान महिला और बाल विकास	1046.00	1030.00	501.44
52	एकीकृत बाल विकास सेवाएं शहरी विकास	<b>8700.00</b>	<b>9280.00</b>	<b>9756.84</b>
53	सभी मेट्रो रेल निगम को पास थ्रू सहायता	3322.21	3322.21	3315.88
54	राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम	1000.00	340.00	329.29
	<b>कुल</b>	<b>261815.99</b>	<b>278666.66</b>	<b>268050.82</b>

## योजनेतर व्यय

(₹ करोड़)

	2010-11			2009-10		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
<b>क. राजस्व व्यय</b>						
1 ब्याज अदायगियां						
सकल	249202.14	244681.19	98.19	230383.67	223700.84	97.10
घटाएं प्रोद्भूत ब्याज	8445.39	10659.11	126.21	10883.67	10607.37	97.96
निवल	240756.75	234022.08	97.20	219500.00	213093.47	99.75
2 रक्षा	90748.43	92060.73	101.45	88440.00	90668.72	102.52
3 मुख्य आर्थिक सहायताएं (खाद्य, चीनी, उर्वरक तथा निर्यात संवर्धन)	153962.21	168051.80	109.15	123936.26	123029.53	99.27
4 ब्याज तथा अन्य आर्थिक सहायताएं	10190.76	9694.83	95.13	7088.68	6692.46	94.41
5 डाक घाटा	5854.31	6161.73	105.25	5463.46	6437.87	117.84
6 पुलिस	27587.05	27399.02	99.10	24590.24	25999.53	105.73
7 पेंशन	53261.79	57405.45	107.78	42232.12	56148.63	132.95
8 आम चुनाव	68.86	354.71	515.12	850.00	948.51	111.59
9 अन्य सामान्य सेवाएं (राज्य के अंग, कर संग्रहण, विदेश मामले आदि)	18613.11	16561.75	88.98	18459.00	15437.76	83.63
10 सामाजिक सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण आदि)	35086.43	35492.24	101.16	35146.58	33188.21	94.43
11 राज्य आपदा राहत कार्य को सहायता-सकल	3560.00	3900.01	109.55	3160.00	3160.00	100.00
घटाएं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से पूरी की गई राशि	3560.00	3900.01	109.55	3160.00	3160.00	100.00
निवल	0.00	0.00		0.00	0.00	
12 रेलवे को लाभांश राहत एवं अन्य रियायतें	2190.87	2647.64	120.85	2243.44	2810.34	125.27

(₹ करोड़)

	2010-11			2009-10		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
13 आर्थिक सेवाएं (कृषि, उद्योग, विद्युत, परिवहन, संचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि)	30024.50	20878.25	69.54	22549.01	32602.46	144.58
14 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	52605.68	49789.92	94.65	46610.23	45972.13	98.63
15 बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	3659.79	3773.88	103.12	3265.63	3332.65	102.05
16 विदेशी सरकारों को अनुदान	2138.53	2256.29	105.51	1569.43	1560.51	99.43
<b>कुल-राजस्व व्यय</b>	<b>726749.07</b>	<b>726490.32</b>	<b>99.96</b>	<b>641944.08</b>	<b>657922.78</b>	<b>102.49</b>
<b>ख. पूंजीगत व्यय</b>						
1 रक्षा	60833.26	62055.99	102.01	47824.00	51112.37	106.88
2 अन्य योजनेतर पूंजीगत परिव्यय	27695.98	23360.21	84.35	15338.19	10952.45	71.41
3 सार्वजनिक उद्यमों को कर्ज	5870.65	6929.31	118.03	636.58	461.70	72.53
4 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज	85.00	85.00	100.00	88.30	82.95	93.94
5 विदेशी सरकारों को कर्ज	0.00	0.00		127.84	124.16	97.12
6 अन्य योजनेतर कर्ज	623.26	(-)398.46		421.75	474.27	112.45
7 बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	(-)305.69	(-)259.24	84.80	(-)9.51	(-)36.43	383.07
<b>कुल-पूंजीगत व्यय</b>	<b>94802.46</b>	<b>91772.81</b>	<b>96.80</b>	<b>64427.15</b>	<b>63171.47</b>	<b>98.05</b>
<b>कुल</b>	<b>821551.53</b>	<b>818263.13</b>	<b>99.60</b>	<b>706371.23</b>	<b>721094.25</b>	<b>102.08</b>

## वर्ष 2010-11 के लिए वेतन और भत्तों पर व्यय

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	<b>कृषि मंत्रालय</b>	
1	कृषि और सहकारिता विभाग	178.77
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2.36
3	पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग	106.58
	<b>परमाणु ऊर्जा विभाग</b>	
4	परमाणु ऊर्जा	1651.44
5	नाभिकीय विद्युत स्कीमें	23.42
	<b>रसायन और उर्वरक मंत्रालय</b>	
6	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	11.03
7	उर्वरक विभाग	13.02
8	औषध निर्माण विभाग	6.45
	<b>नागर विमानन मंत्रालय</b>	
9	नागर विमानन मंत्रालय	51.03
	<b>कोयला मंत्रालय</b>	
10	कोयला मंत्रालय	14.12
	<b>वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय</b>	
11	वाणिज्य विभाग	265.75
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	97.78
	<b>संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>	
13	डाक विभाग	9169.50
14	दूरसंचार विभाग	86.77
15	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	324.81
	<b>उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय</b>	
16	उपभोक्ता मामले विभाग	42.02
17	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	46.62

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
18	कारपोरेट कार्य मंत्रालय कारपोरेट कार्य मंत्रालय	63.90
19	संस्कृति मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय	229.28
20-21	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	1260.93
22-27	रक्षा मंत्रालय (रक्षा)	60526.82
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	11.75
29	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	246.27
30	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	131.64
31	विदेश मंत्रालय विदेश मंत्रालय	824.36
32	वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	53.65
33	वित्तीय सेवाएं विभाग	47.08
38	व्यय विभाग	36.76
39	पेंशन*	
40	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	1862.96
41	राजस्व विभाग	150.22
42	प्रत्यक्ष कर	1689.62
43	अप्रत्यक्ष कर	2334.42
44	विनिवेश विभाग	2.79
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	6.44

\* वेतन और भत्तों के आंकड़े अनुदान संख्या 38 में शामिल हैं।

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</b>	
46	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1149.21
47	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)	10.22
48	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग *	
	<b>भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय</b>	
49	भारी उद्योग विभाग	11.61
50	लोक उद्यम विभाग	4.61
	<b>गृह मंत्रालय</b>	
51	गृह मंत्रालय	2391.39
52	मंत्रिमंडल	163.24
53	पुलिस	20339.93
54	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	141.44
	<b>आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय</b>	
56	आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय	5.45
	<b>मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>	
57	विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	11.28
58	उच्चतर शिक्षा विभाग	62.30
	<b>सूचना और प्रसारण मंत्रालय</b>	
59	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	172.09
	<b>श्रम एवं रोजगार मंत्रालय</b>	
60	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	271.82
	<b>विधि और न्याय मंत्रालय</b>	
61	निर्वाचन आयोग	14.03
62	विधि और न्याय	82.04
63	भारत का उच्चतम न्यायालय	79.50
	<b>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय</b>	
64	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	91.75

\* वेतन और भत्तों के आंकड़े अनुदान संख्या 46 में शामिल हैं।

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
65	खान मंत्रालय खान मंत्रालय	410.73
66	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	8.38
67	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	16.90
68	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	6.77
69	पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय	4.11
70	संसदीय कार्य मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय	4.78
71	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	343.32
72	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	14.00
73	योजना मंत्रालय योजना मंत्रालय	60.72
74	विद्युत मंत्रालय विद्युत मंत्रालय	76.19
75	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप राष्ट्रपति का सचिवालय राष्ट्रपति का कर्मचारीवृंद, गृह और भत्ते	15.30
76	लोकसभा	205.37
77	राज्यसभा	116.05
78	संघ लोक सेवा आयोग	66.47

		(₹ करोड़)
अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
79	उप राष्ट्रपति का सचिवालय	1.46
80	<b>पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</b> सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	291.81
81	<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय</b> ग्रामीण विकास विभाग	21.49
82	भू-संसाधन विभाग	4.93
83	पेयजल पूर्ति विभाग	4.10
84	<b>विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b> विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	270.55
84	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	5.94
86	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	10.78
87	<b>पोत परिवहन मंत्रालय</b> पोत परिवहन मंत्रालय	78.93
88	<b>सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय</b> सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	26.26
89	<b>अंतरिक्ष विभाग</b> अंतरिक्ष विभाग	888.99
90	<b>सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय</b> सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	213.48
91	<b>इस्पात मंत्रालय</b> इस्पात मंत्रालय	12.73
92	<b>वस्त्र मंत्रालय</b> वस्त्र मंत्रालय	146.34
93	<b>पर्यटन मंत्रालय</b> पर्यटन मंत्रालय	24.63
94	<b>जनजातीय कार्य मंत्रालय</b> जनजातीय कार्य मंत्रालय	10.60

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
	<b>संघ राज्य क्षेत्र ( बिना विधानमण्डल वाले )</b>	
95	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	794.90
96	चंडीगढ़	845.05
97	दादरा एवं नागर हवेली	87.73
98	दमन एवं दीव	68.21
99	लक्षद्वीप	113.61
	<b>शहरी विकास मंत्रालय</b>	
100	शहरी विकास विभाग	170.42
101	लोक निर्माण कार्य	678.20
102	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	161.12
	<b>जल संसाधन मंत्रालय</b>	
103	जल संसाधन मंत्रालय	369.56
	<b>महिला और बाल विकास मंत्रालय</b>	
104	महिला और बाल विकास मंत्रालय	22.71
	<b>युवा मामले एवं खेल मंत्रालय</b>	
105	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	14.79
	<b>कुल योग</b>	<b>113260.71</b>

## आर्थिक सहायताओं का विवरण 2010-11

## परिशिष्ट-7

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
<b>मुख्य आर्थिक सहायताएं -</b>			<b>108666.91</b>	<b>153962.21</b>	<b>168051.80</b>
खाद्य	17	2408	55578.18	60599.53	63843.79
देशी (यूरिया) उर्वरक	7	2852	15980.73	15080.73	15080.74
आयातित (यूरिया) उर्वरक	7	2401	5500.00	6395.95	9255.95
किसानों को रियायत के साथ विनियंत्रित उर्वरक की बिक्री	7	2401	28500.00	33500.00	41500.00
पेट्रोलियम संबंधी आर्थिक सहायता	72	2802	3108.00	38386.00	38371.32
<b>ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता</b>			<b>4416.09</b>	<b>5223.00</b>	<b>4675.00</b>
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू करने के लिए बैंकों से लिए गए कर्ज-			52.73	52.73	48.83
(क) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	91	2852	48.69	48.69	44.95
(ख) मेकन लि.	91	2852	4.04	4.04	3.88
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू करने के वास्ते वित्तीयन के लिए बैंक को ब्याज सहायता	49	2852	15.00	13.76	0.00
गोअन बैंक को ब्याज सहायता	33	2885	0.08	0.08	0.08
खादी ग्रामोद्योग आयोग-			27.36	27.36	27.36
(क) खादी उद्योगों के लिए	64	2851	22.00	22.00	22.00
(ख) अन्य ग्रामीण उद्योगों के लिए	64	2851	5.36	5.36	5.36

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के संबंध में जीवन बीमा निगम को ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता	33	2235	209.32	175.70	175.70
किसानों को अल्पावधि उधार प्रदान करने के लिए आर्थिक अनुदान	33	2416	3000.00	4000.00	3531.19
निर्यात संवर्धन के अंतर्गत बैंकों को ब्याज संबंधी सहायता	11	3453	250.00	654.00	654.00
भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता	32	3475	130.00	127.77	127.70
सहकारी चीनी मिलों को नाबार्ड के माध्यम से ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता	17	2408	31.60	31.60	31.60
नोडल एजेंसियों जैसे आरबीआई एवं एनएचबी को आर्थिक सहायता का भुगतान	33	2885	700.00	100.00	38.54
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. को ब्याज सहायता	20	2852	0.00	40.00	40.00
अन्य आर्थिक सहायता ( ब्योरे अलग से दिए गए हैं )*			<b>3141.04</b>	<b>4967.76</b>	<b>5019.83</b>

## \*अन्य आर्थिक सहायता 2010-11

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
नेफेड को एमआईएस/पीएसएस के लिए अनुदान	<b>1</b>	2401	425.00	250.00	98.00
हज चार्टरों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता	<b>9</b>	3053	800.00	870.00	870.00
चीनी के सुरक्षित भंडार के अनुरक्षण संबंधी आर्थिक सहायता	<b>17</b>	2408	200.00	100.00	88.00
आयातित खाद्य तेल पर हुई हानि के लिए एसटीसी को अदायगी	<b>17</b>	2408	0.01	0.01	0.00
शिपयार्डों को आर्थिक सहायता-			748.30	359.65	199.11
(क) कोचीन शिपयार्ड लि.	<b>87</b>	2852	120.00	72.00	70.92
(ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	<b>87</b>	2852	40.00	0.00	0.00
गैर-केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शिपयार्ड और निजी क्षेत्र के शिपयार्ड	<b>87</b>	2852	588.30	287.65	128.19
पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता	<b>54</b>	3053	35.00	40.00	44.99
असम गैस परियोजना को आर्थिक सहायता	<b>6</b>	2852	0.01	0.01	796.73
विनिमय हानि के लिए प्रतिपूर्ति-					
(क) एनआरआई बांड स्कीम के अंतर्गत विनिमय हानि	<b>32</b>	3475	0.50	0.50	2.85
कर्जों को बट्टे खाते डालना - एचएफसीएल, एमएफएल, एफएसीटी, एफसीआई और पीडीआईएल	<b>7</b>	3475	0.01	0.01	0.00
बाजार प्रचालन के लिए भारतीय पटसन निगम को आर्थिक सहायता	<b>92</b>	2852	30.00	30.00	30.00
समर्थन मूल्य के अन्तर्गत भारतीय कपास निगम की अधिप्राप्ति	<b>92</b>	2852	244.00	1233.03	1217.00
चीनी के निर्यात पोतारोहण पर चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन और भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति	<b>17</b>	2408	200.00	150.00	146.81

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
चीनी उपक्रमों को आर्थिक सहायता देने की स्कीम-2007	17	2408	222.00	538.25	538.25
भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयातित उर्वरकों की देखरेख में कमी की प्रतिपूर्ति	17	2408	0.10	0.10	0.00
खाद्य तेलों के आयात के लिए आर्थिक सहायता	17	2408	11.79	917.88	512.73
समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को आर्थिक सहायता	33	2235	20.00	25.00	22.00
राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केन्द्र को सहायता	87	2852	3.32	3.32	3.32
दलहन के आयात पर आर्थिक सहायता	16	2408	200.00	450.00	450.00
सूखा तथा अल्प वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में डीजल संबंधी आर्थिक सहायता	1	3601	1.00	0.00	0.04
<b>कुल</b>			<b>3141.04</b>	<b>4967.76</b>	<b>5019.83</b>

मंत्रालयों/विभागों का व्यय 2010-11  
(दर्शाए गए आंकड़े प्राप्तियों और वसूलियों के निवल आंकड़े हैं)

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1	कृषि और सहकारिता	<b>10492.00</b>	<b>10208.52</b>	<b>441.48</b>	<b>277.32</b>	<b>10933.48</b>	<b>10485.84</b>
	राजस्व	10432.59	10180.24	441.09	277.10	10873.68	10457.34
	पूँजीगत	59.41	28.28	0.39	0.22	59.80	28.50
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	<b>2300.00</b>	<b>2521.80</b>	<b>2865.00</b>	<b>2864.05</b>	<b>5165.00</b>	<b>5385.85</b>
	राजस्व	2300.00	2521.80	2865.00	2864.05	5165.00	5385.85
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	पशु पालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन	<b>1257.00</b>	<b>1095.59</b>	<b>98.70</b>	<b>92.95</b>	<b>1355.70</b>	<b>1188.54</b>
	राजस्व	1245.50	1089.18	98.70	92.95	1344.20	1182.13
	पूँजीगत	11.50	6.41	0.00	0.00	11.50	6.41
4-5	परमाणु ऊर्जा	<b>4119.62</b>	<b>3289.43</b>	<b>4037.85</b>	<b>3838.51</b>	<b>8157.47</b>	<b>7127.94</b>
	राजस्व	1347.33	1189.73	3250.92	3101.53	4598.25	4291.26
	पूँजीगत	2772.29	2099.70	786.93	736.98	3559.22	2836.68
6	रसायन और पेट्रो रसायन	<b>903.00</b>	<b>879.77</b>	<b>760.59</b>	<b>348.90</b>	<b>1663.59</b>	<b>1228.67</b>
	राजस्व	882.40	879.77	759.47	347.80	1641.87	1227.57
	पूँजीगत	20.60	0.00	1.12	1.10	21.72	1.10
7	उर्वरक	<b>215.00</b>	<b>214.28</b>	<b>55000.00</b>	<b>61879.59</b>	<b>55215.00</b>	<b>62093.87</b>
	राजस्व	5.50	4.79	54999.96	61879.59	55005.46	61884.38
	पूँजीगत	209.50	209.49	0.04	0.00	209.54	209.49
8	औषध निर्माण	<b>119.00</b>	<b>69.67</b>	<b>37.15</b>	<b>32.70</b>	<b>156.15</b>	<b>102.37</b>
	राजस्व	79.00	42.17	37.10	32.70	116.10	74.87
	पूँजीगत	40.00	27.50	0.05	0.00	40.05	27.50
9	नागर विमानन	<b>1700.00</b>	<b>1576.48</b>	<b>956.39</b>	<b>950.89</b>	<b>2656.39</b>	<b>2527.37</b>
	राजस्व	360.20	288.84	956.39	950.89	1316.59	1239.73
	पूँजीगत	1339.80	1287.64	0.00	0.00	1339.80	1287.64

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
10	कोयला	<b>400.00</b>	<b>374.97</b>	<b>47.66</b>	<b>48.66</b>	<b>447.66</b>	<b>423.63</b>
	राजस्व	400.00	374.97	47.66	45.93	447.66	420.90
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	2.73
11	वाणिज्य	<b>1680.00</b>	<b>1672.91</b>	<b>4994.12</b>	<b>3601.25</b>	<b>6674.12</b>	<b>5274.16</b>
	राजस्व	997.01	986.22	4994.12	3601.25	5991.13	4587.47
	पूँजीगत	682.99	686.69	0.00	0.00	682.99	686.69
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन	<b>1050.00</b>	<b>1013.09</b>	<b>180.00</b>	<b>171.35</b>	<b>1230.00</b>	<b>1184.44</b>
	राजस्व	1040.00	1003.09	180.00	171.35	1220.00	1174.44
	पूँजीगत	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00
13	डाक	<b>480.00</b>	<b>450.00</b>	<b>5864.31</b>	<b>6169.35</b>	<b>6344.31</b>	<b>6619.35</b>
	राजस्व	192.35	183.89	5854.31	6161.73	6046.66	6345.62
	पूँजीगत	287.65	266.11	10.00	7.62	297.65	273.73
14	दूरसंचार	<b>397.26</b>	<b>171.22</b>	<b>7302.91</b>	<b>7099.05</b>	<b>7700.17</b>	<b>7270.27</b>
	राजस्व	172.60	78.10	7302.91	7099.05	7475.51	7177.15
	पूँजीगत	224.66	93.12	0.00	0.00	224.66	93.12
15	सूचना प्रौद्योगिकी	<b>3468.40</b>	<b>3006.20</b>	<b>107.60</b>	<b>101.26</b>	<b>3576.00</b>	<b>3107.46</b>
	राजस्व	3307.40	2856.18	107.60	101.26	3415.00	2957.44
	पूँजीगत	161.00	150.02	0.00	0.00	161.00	150.02
16	उपभोक्ता मामले	<b>198.00</b>	<b>181.35</b>	<b>504.94</b>	<b>500.30</b>	<b>702.94</b>	<b>681.65</b>
	राजस्व	169.71	157.41	504.94	500.30	674.65	657.71
	पूँजीगत	28.29	23.94	0.00	0.00	28.29	23.94

tkjh.....

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
<b>17</b>	खाद्य और सार्वजनिक वितरण	<b>66.11</b>	<b>64.41</b>	<b>67954.97</b>	<b>70725.79</b>	<b>68021.08</b>	<b>70790.20</b>
	राजस्व	29.25	27.59	62953.77	65724.59	62983.02	65752.18
	पूँजीगत	36.86	36.82	5001.20	5001.20	5038.06	5038.02
<b>18</b>	कारपोरेट कार्य	<b>87.36</b>	<b>86.73</b>	<b>198.89</b>	<b>183.08</b>	<b>286.25</b>	<b>269.81</b>
	राजस्व	6.00	5.37	184.89	169.37	190.89	174.74
	पूँजीगत	81.36	81.36	14.00	13.71	95.36	95.07
<b>19</b>	संस्कृति	<b>735.00</b>	<b>728.99</b>	<b>586.20</b>	<b>592.64</b>	<b>1321.20</b>	<b>1321.63</b>
	राजस्व	692.00	693.82	586.20	592.64	1278.20	1286.46
	पूँजीगत	43.00	35.17	0.00	0.00	43.00	35.17
<b>20-21</b>	रक्षा (सिविल अनुमान)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38165.61</b>	<b>40489.10</b>	<b>38165.61</b>	<b>40489.10</b>
	राजस्व	0.00	0.00	36895.53	39244.43	36895.53	39244.43
	पूँजीगत	0.00	0.00	1270.08	1244.67	1270.08	1244.67
<b>22-27</b>	रक्षा सेवाएं	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151581.69</b>	<b>154116.72</b>	<b>151581.69</b>	<b>154116.72</b>
	राजस्व	0.00	0.00	90748.43	92060.72	90748.43	92060.72
	पूँजीगत	0.00	0.00	60833.26	62056.00	60833.26	62056.00
<b>28</b>	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	<b>188.22</b>	<b>84.73</b>	<b>21.11</b>	<b>21.68</b>	<b>209.33</b>	<b>106.41</b>
	राजस्व	128.22	24.73	17.11	17.68	145.33	42.41
	पूँजीगत	60.00	60.00	4.00	4.00	64.00	64.00
<b>29</b>	पृथ्वी विज्ञान	<b>950.00</b>	<b>767.81</b>	<b>329.00</b>	<b>326.72</b>	<b>1279.00</b>	<b>1094.53</b>
	राजस्व	739.21	639.67	327.21	326.53	1066.42	966.20
	पूँजीगत	210.79	128.14	1.79	0.19	212.58	128.33
<b>30</b>	पर्यावरण और वन	<b>2200.00</b>	<b>2180.77</b>	<b>185.52</b>	<b>191.43</b>	<b>2385.52</b>	<b>2372.20</b>
	राजस्व	2169.07	2149.64	170.56	176.94	2339.63	2326.58
	पूँजीगत	30.93	31.13	14.96	14.49	45.89	45.62

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
<b>31</b>	विदेश मंत्रालय	<b>825.00</b>	<b>799.77</b>	<b>6295.00</b>	<b>6341.82</b>	<b>7120.00</b>	<b>7141.59</b>
	राजस्व	353.00	315.72	5895.00	5927.04	6248.00	6242.76
	पूँजीगत	472.00	484.05	400.00	414.78	872.00	898.83
<b>32</b>	आर्थिक कार्य	<b>2057.81</b>	<b>2057.81</b>	<b>3796.50</b>	<b>717.39</b>	<b>5854.31</b>	<b>2775.20</b>
	राजस्व	1932.81	1932.81	3487.89	3277.82	5420.70	5210.63
	पूँजीगत	125.00	125.00	308.61	-2560.43	433.61	-2435.43
<b>33</b>	वित्तीय सेवाएं	<b>7930.00</b>	<b>7430.00</b>	<b>40006.77</b>	<b>37593.30</b>	<b>47936.77</b>	<b>45023.30</b>
	राजस्व	50.00	0.00	24254.65	22472.67	24304.65	22472.67
	पूँजीगत	7880.00	7430.00	15752.12	15120.63	23632.12	22550.63
<b>34-37</b>	आर्थिक कार्य (केन्द्रीयकृत प्रावधान)	<b>0.00</b>	<b>4354.10</b>	<b>273040.75</b>	<b>265572.22</b>	<b>273040.75</b>	<b>269926.32</b>
	राजस्व	0.00	4354.10	273230.75	265769.11	273230.75	270123.21
	पूँजीगत	0.00	0.00	-190.00	-196.89	-190.00	-196.89
<b>38-40</b>	व्यय	<b>9.51</b>	<b>9.51</b>	<b>17242.28</b>	<b>18155.60</b>	<b>17251.79</b>	<b>18165.11</b>
	राजस्व	2.31	2.31	17223.93	18137.26	17226.24	18139.57
	पूँजीगत	7.20	7.20	18.35	18.34	25.55	25.54
<b>41-43</b>	राजस्व	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22624.86</b>	<b>22553.18</b>	<b>22624.86</b>	<b>22553.18</b>
	राजस्व	0.00	0.00	20856.99	20841.19	20856.99	20841.19
	पूँजीगत	0.00	0.00	1767.87	1711.99	1767.87	1711.99
<b>44</b>	विनिवेश	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63.36</b>	<b>63.05</b>	<b>63.36</b>	<b>63.05</b>
	राजस्व	0.00	0.00	63.36	63.05	63.36	63.05
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	<b>400.00</b>	<b>393.25</b>	<b>9.72</b>	<b>9.39</b>	<b>409.72</b>	<b>402.64</b>
	राजस्व	297.49	290.75	9.72	9.39	307.21	300.14
	पूँजीगत	102.51	102.50	0.00	0.00	102.51	102.50
46	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	<b>20100.00</b>	<b>19362.42</b>	<b>3200.00</b>	<b>3402.09</b>	<b>23300.00</b>	<b>22764.51</b>
	राजस्व	18908.14	18407.17	3200.00	3402.09	22108.14	21809.26
	पूँजीगत	1191.86	955.25	0.00	0.00	1191.86	955.25
47	आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	<b>888.00</b>	<b>848.91</b>	<b>177.00</b>	<b>161.50</b>	<b>1065.00</b>	<b>1010.41</b>
	राजस्व	877.60	838.91	177.00	161.50	1054.60	1000.41
	पूँजीगत	10.40	10.00	0.00	0.00	10.40	10.00
48	स्वास्थ्य अनुसंधान	<b>530.00</b>	<b>515.12</b>	<b>160.00</b>	<b>159.90</b>	<b>690.00</b>	<b>675.02</b>
	राजस्व	530.00	515.12	160.00	159.90	690.00	675.02
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	भारी उद्योग	<b>311.00</b>	<b>272.76</b>	<b>749.70</b>	<b>685.62</b>	<b>1060.70</b>	<b>958.38</b>
	राजस्व	239.30	236.76	118.24	81.19	357.54	317.95
	पूँजीगत	71.70	36.00	631.46	604.43	703.16	640.43
50	सार्वजनिक उद्यम	<b>10.33</b>	<b>9.41</b>	<b>7.85</b>	<b>7.69</b>	<b>18.18</b>	<b>17.10</b>
	राजस्व	10.33	9.41	7.85	7.69	18.18	17.10
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51-55	गृह	<b>2615.00</b>	<b>2542.00</b>	<b>37653.13</b>	<b>36881.70</b>	<b>40268.13</b>	<b>39423.70</b>
	राजस्व	2107.14	2041.85	32635.05	32226.63	34742.19	34268.48
	पूँजीगत	507.86	500.15	5018.08	4655.07	5525.94	5155.22

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
56	आवास और शहरी गरीबी निवारण	<b>880.00</b>	<b>821.42</b>	<b>7.29</b>	<b>6.77</b>	<b>887.29</b>	<b>828.19</b>
	राजस्व	880.00	821.42	7.29	6.77	887.29	828.19
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता	<b>34036.00</b>	<b>34129.26</b>	<b>2306.00</b>	<b>2303.24</b>	<b>36342.00</b>	<b>36432.50</b>
	राजस्व	34036.00	34129.26	2306.00	2303.24	36342.00	36432.50
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	उच्चतर शिक्षा	<b>9796.00</b>	<b>9380.76</b>	<b>8410.00</b>	<b>6091.02</b>	<b>18206.00</b>	<b>15471.78</b>
	राजस्व	9796.00	9380.76	8410.00	6091.02	18206.00	15471.78
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	सूचना और प्रसारण	<b>850.00</b>	<b>789.91</b>	<b>1768.06</b>	<b>1757.40</b>	<b>2618.06</b>	<b>2547.31</b>
	राजस्व	326.36	295.24	1768.06	1757.40	2094.42	2052.64
	पूँजीगत	523.64	494.67	0.00	0.00	523.64	494.67
60	श्रम और रोजगार	<b>1195.00</b>	<b>1054.31</b>	<b>1844.00</b>	<b>1751.99</b>	<b>3039.00</b>	<b>2806.30</b>
	राजस्व	1186.71	1046.42	1843.06	1751.17	3029.77	2797.59
	पूँजीगत	8.29	7.89	0.94	0.82	9.23	8.71
61	निर्वाचन आयोग	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.68</b>	<b>23.30</b>	<b>23.68</b>	<b>23.30</b>
	राजस्व	0.00	0.00	23.68	23.30	23.68	23.30
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	विधि और न्याय	<b>280.00</b>	<b>270.65</b>	<b>664.00</b>	<b>579.02</b>	<b>944.00</b>	<b>849.67</b>
	राजस्व	280.00	270.65	662.25	579.02	942.25	849.67
	पूँजीगत	0.00	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
<b>63</b>	भारत का उच्चतम न्यायालय	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.37</b>	<b>98.37</b>	<b>98.37</b>	<b>98.37</b>
	राजस्व	0.00	0.00	98.37	98.37	98.37	98.37
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>64</b>	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	<b>2390.02</b>	<b>2264.50</b>	<b>288.93</b>	<b>288.17</b>	<b>2678.95</b>	<b>2552.67</b>
	राजस्व	2379.02	2261.30	288.13	287.87	2667.15	2549.17
	पूँजीगत	11.00	3.20	0.80	0.30	11.80	3.50
<b>65</b>	खान	<b>240.00</b>	<b>227.77</b>	<b>420.11</b>	<b>419.95</b>	<b>660.11</b>	<b>647.72</b>
	राजस्व	160.21	151.77	420.11	419.95	580.32	571.72
	पूँजीगत	79.79	76.00	0.00	0.00	79.79	76.00
<b>66</b>	अल्पसंख्यक मामले	<b>2500.00</b>	<b>2008.15</b>	<b>14.50</b>	<b>12.10</b>	<b>2514.50</b>	<b>2020.25</b>
	राजस्व	2385.00	1893.15	14.50	12.10	2399.50	1905.25
	पूँजीगत	115.00	115.00	0.00	0.00	115.00	115.00
<b>67</b>	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	<b>994.45</b>	<b>973.52</b>	<b>13.50</b>	<b>12.75</b>	<b>1007.95</b>	<b>986.27</b>
	राजस्व	941.15	920.25	13.50	12.75	954.65	933.00
	पूँजीगत	53.30	53.27	0.00	0.00	53.30	53.27
<b>68</b>	प्रवासी भारतीय कार्य	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73.00</b>	<b>67.87</b>	<b>73.00</b>	<b>67.87</b>
	राजस्व	0.00	0.00	58.80	54.00	58.80	54.00
	पूँजीगत	0.00	0.00	14.20	13.87	14.20	13.87
<b>69</b>	पंचायती राज	<b>120.00</b>	<b>139.08</b>	<b>0.60</b>	<b>0.40</b>	<b>120.60</b>	<b>139.48</b>
	राजस्व	120.00	139.08	0.60	0.40	120.60	139.48
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
<b>70</b>	संसदीय कार्य	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.92</b>	<b>7.72</b>	<b>8.92</b>	<b>7.72</b>
	राजस्व	0.00	0.00	8.92	7.72	8.92	7.72
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>71</b>	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	<b>215.00</b>	<b>194.72</b>	<b>520.41</b>	<b>528.43</b>	<b>735.41</b>	<b>723.15</b>
	राजस्व	102.75	87.06	515.41	523.43	618.16	610.49
	पूँजीगत	112.25	107.66	5.00	5.00	117.25	112.66
<b>72</b>	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	<b>37.00</b>	<b>36.00</b>	<b>38521.53</b>	<b>38501.08</b>	<b>38558.53</b>	<b>38537.08</b>
	राजस्व	37.00	36.00	38420.00	38399.55	38457.00	38435.55
	पूँजीगत	0.00	0.00	101.53	101.53	101.53	101.53
<b>73</b>	योजना	<b>1045.00</b>	<b>310.88</b>	<b>72.66</b>	<b>69.98</b>	<b>1117.66</b>	<b>380.86</b>
	राजस्व	823.00	210.87	72.66	69.98	895.66	280.85
	पूँजीगत	222.00	100.01	0.00	0.00	222.00	100.01
<b>74</b>	विद्युत	<b>8725.22</b>	<b>8295.53</b>	<b>-173.46</b>	<b>-44.34</b>	<b>8551.76</b>	<b>8251.19</b>
	राजस्व	5425.38	5220.99	-173.46	-44.34	5251.92	5176.65
	पूँजीगत	3299.84	3074.54	0.00	0.00	3299.84	3074.54
<b>75-79</b>	राष्ट्रपति सचिवालय	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>769.34</b>	<b>733.96</b>	<b>769.34</b>	<b>733.96</b>
	राजस्व	0.00	0.00	769.34	733.96	769.34	733.96
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>80</b>	सड़क परिवहन और राजमार्ग	<b>18755.42</b>	<b>17949.84</b>	<b>4792.48</b>	<b>4499.83</b>	<b>23547.90</b>	<b>22449.67</b>
	राजस्व	10551.32	10521.44	2962.20	2759.14	13513.52	13280.58
	पूँजीगत	8204.10	7428.40	1830.28	1740.69	10034.38	9169.09

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
<b>81</b>	ग्रामीण विकास	<b>76337.50</b>	<b>72061.10</b>	<b>40.65</b>	<b>48.28</b>	<b>76378.15</b>	<b>72109.38</b>
	राजस्व	76329.68	72061.10	40.65	48.28	76370.33	72109.38
	पूँजीगत	7.82	0.00	0.00	0.00	7.82	0.00
<b>82</b>	भू-संसाधन	<b>2660.00</b>	<b>2611.54</b>	<b>6.05</b>	<b>6.31</b>	<b>2666.05</b>	<b>2617.85</b>
	राजस्व	2660.00	2611.54	6.05	6.31	2666.05	2617.85
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>83</b>	पेयजल और सफाई	<b>10580.00</b>	<b>10565.09</b>	<b>4.94</b>	<b>4.52</b>	<b>10584.94</b>	<b>10569.61</b>
	राजस्व	10580.00	10565.09	4.94	4.52	10584.94	10569.61
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>84</b>	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	<b>2017.01</b>	<b>1932.88</b>	<b>351.99</b>	<b>346.44</b>	<b>2369.00</b>	<b>2279.32</b>
	राजस्व	1981.81	1898.29	349.59	345.24	2331.40	2243.53
	पूँजीगत	35.20	34.59	2.40	1.20	37.60	35.79
<b>85</b>	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान	<b>1600.00</b>	<b>1596.26</b>	<b>1388.00</b>	<b>1386.42</b>	<b>2988.00</b>	<b>2982.68</b>
	राजस्व	1596.20	1592.72	1388.00	1386.42	2984.20	2979.14
	पूँजीगत	3.80	3.54	0.00	0.00	3.80	3.54
<b>86</b>	जैव प्रौद्योगिकी	<b>1200.00</b>	<b>1120.55</b>	<b>22.00</b>	<b>24.31</b>	<b>1222.00</b>	<b>1144.86</b>
	राजस्व	1200.00	1120.55	22.00	24.31	1222.00	1144.86
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>87</b>	पोत परिवहन	<b>605.00</b>	<b>564.76</b>	<b>1000.00</b>	<b>793.03</b>	<b>1605.00</b>	<b>1357.79</b>
	राजस्व	142.95	148.70	1038.20	812.68	1181.15	961.38
	पूँजीगत	462.05	416.06	-38.20	-19.65	423.85	396.41

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
<b>88</b>	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	<b>4300.00</b>	<b>4170.59</b>	<b>76.41</b>	<b>73.99</b>	<b>4376.41</b>	<b>4244.58</b>
	राजस्व	4075.00	3945.59	76.41	73.99	4151.41	4019.58
	पूँजीगत	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00	225.00
<b>89</b>	अंतरिक्ष	<b>4000.00</b>	<b>3603.41</b>	<b>880.00</b>	<b>878.83</b>	<b>4880.00</b>	<b>4482.24</b>
	राजस्व	1917.48	1678.69	880.00	878.83	2797.48	2557.52
	पूँजीगत	2082.52	1924.72	0.00	0.00	2082.52	1924.72
<b>90</b>	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	<b>123.00</b>	<b>119.02</b>	<b>326.70</b>	<b>329.71</b>	<b>449.70</b>	<b>448.73</b>
	राजस्व	119.22	116.15	326.70	329.71	445.92	445.86
	पूँजीगत	3.78	2.87	0.00	0.00	3.78	2.87
<b>91</b>	इस्पात	<b>30.00</b>	<b>27.05</b>	<b>72.94</b>	<b>67.77</b>	<b>102.94</b>	<b>94.82</b>
	राजस्व	29.00	27.05	72.94	67.77	101.94	94.82
	पूँजीगत	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>92</b>	वस्त्र	<b>4725.00</b>	<b>4191.32</b>	<b>2043.85</b>	<b>2007.72</b>	<b>6768.85</b>	<b>6199.04</b>
	राजस्व	4695.02	4167.48	1834.38	1802.07	6529.40	5969.55
	पूँजीगत	29.98	23.84	209.47	205.65	239.45	229.49
<b>93</b>	पर्यटन	<b>1000.00</b>	<b>997.13</b>	<b>66.13</b>	<b>57.40</b>	<b>1066.13</b>	<b>1054.53</b>
	राजस्व	998.34	995.48	66.13	57.40	1064.47	1052.88
	पूँजीगत	1.66	1.65	0.00	0.00	1.66	1.65
<b>94</b>	जनजातीय मामले	<b>1233.74</b>	<b>1204.87</b>	<b>15.71</b>	<b>15.37</b>	<b>1249.45</b>	<b>1220.24</b>
	राजस्व	1163.74	1134.88	15.71	15.37	1179.45	1150.25
	पूँजीगत	70.00	69.99	0.00	0.00	70.00	69.99

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
<b>100-102</b>	शहरी विकास	<b>6011.84</b>	<b>5957.50</b>	<b>2142.90</b>	<b>2234.01</b>	<b>8154.74</b>	<b>8191.51</b>
	राजस्व	476.95	437.79	1689.02	1803.67	2165.97	2241.46
	पूँजीगत	5534.89	5519.71	453.88	430.34	5988.77	5950.05
<b>103</b>	जल संसाधन	<b>560.00</b>	<b>520.47</b>	<b>489.36</b>	<b>451.13</b>	<b>1049.36</b>	<b>971.60</b>
	राजस्व	476.50	460.11	487.56	449.18	964.06	909.29
	पूँजीगत	83.50	60.36	1.80	1.95	85.30	62.31
<b>104</b>	महिला एवं बाल विकास	<b>10370.00</b>	<b>10617.30</b>	<b>74.27</b>	<b>71.18</b>	<b>10444.27</b>	<b>10688.48</b>
	राजस्व	10370.00	10617.30	74.27	71.18	10444.27	10688.48
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>105</b>	युवा मामले और खेल	<b>2383.67</b>	<b>2058.81</b>	<b>932.00</b>	<b>782.41</b>	<b>3315.67</b>	<b>2841.22</b>
	राजस्व	1788.67	1602.26	124.01	119.20	1912.68	1721.46
	पूँजीगत	595.00	456.55	807.99	663.21	1402.99	1119.76
	रेलवे	<b>18133.25</b>	<b>18420.62</b>	<b>0.00</b>	<b>-35.84</b>	<b>18133.25</b>	<b>18384.78</b>
	राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पूँजीगत (शीर्ष 5002 और 5003)	18133.25	18420.62	0.00	-35.84	18133.25	18384.78

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
<b>I</b>	केंद्रीय मंत्रालय/विभाग						
	कुल	<b>298611.74</b>	<b>290420.35</b>	<b>817626.43</b>	<b>814179.74</b>	<b>1116238.17</b>	<b>1104600.09</b>
	राजस्व	<b>242033.92</b>	<b>236888.54</b>	<b>722590.28</b>	<b>722219.84</b>	<b>964624.20</b>	<b>959108.38</b>
	पूँजीगत	<b>56577.82</b>	<b>53531.81</b>	<b>95036.15</b>	<b>91959.90</b>	<b>151613.97</b>	<b>145491.71</b>
<b>II</b>	राज्य योजनाएं ( पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास सहित )						
	कुल	<b>92978.95</b>	<b>85392.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92978.95</b>	<b>85392.59</b>
	राजस्व	<b>82488.51</b>	<b>75102.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82488.51</b>	<b>75102.07</b>
	पूँजीगत	<b>10490.44</b>	<b>10290.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10490.44</b>	<b>10290.52</b>
	राज्य योजनाएं	<b>91428.95</b>	<b>83858.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91428.95</b>	<b>83858.47</b>
	राजस्व	81015.51	73644.72	0.00	0.00	81015.51	73644.72
	पूँजीगत	10413.44	10213.75	0.00	0.00	10413.44	10213.75
<b>1</b>	कृषि और सहकारिता	<b>6762.00</b>	<b>6758.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6762.00</b>	<b>6758.91</b>
	राजस्व	6762.00	6758.91	0.00	0.00	6762.00	6758.91
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>35</b>	वित्त - राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण	<b>74009.47</b>	<b>65149.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74009.47</b>	<b>65149.11</b>
	राजस्व	63596.03	54935.36	0.00	0.00	63596.03	54935.36
	पूँजीगत	10413.44	10213.75	0.00	0.00	10413.44	10213.75
<b>69</b>	पंचायती राज	<b>5050.00</b>	<b>6550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5050.00</b>	<b>6550.00</b>
	राजस्व	5050.00	6550.00	0.00	0.00	5050.00	6550.00
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
<b>III</b>	संघ राज्य क्षेत्र	<b>3433.51</b>	<b>3252.00</b>	<b>3925.10</b>	<b>4082.97</b>	<b>7358.61</b>	<b>7334.97</b>
	राजस्व	<b>2405.29</b>	<b>2241.60</b>	<b>4158.79</b>	<b>4270.59</b>	<b>6564.08</b>	<b>6512.19</b>
	पूँजीगत	<b>1028.22</b>	<b>1010.40</b>	<b>-233.69</b>	<b>-187.62</b>	<b>794.53</b>	<b>822.78</b>
<b>क</b>	विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	<b>1245.29</b>	<b>1120.76</b>	<b>571.00</b>	<b>567.55</b>	<b>1816.29</b>	<b>1688.31</b>
	राजस्व	1245.29	1120.76	499.00	495.55	1744.29	1616.31
	पूँजीगत	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00
<b>55</b>	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	<b>1080.51</b>	<b>943.48</b>	<b>6.00</b>	<b>2.55</b>	<b>1086.51</b>	<b>946.03</b>
	राजस्व	1080.51	943.48	6.00	2.55	1086.51	946.03
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>55</b>	पुदुचेरी	<b>164.78</b>	<b>177.28</b>	<b>565.00</b>	<b>565.00</b>	<b>729.78</b>	<b>742.28</b>
	राजस्व	164.78	177.28	493.00	493.00	657.78	670.28
	पूँजीगत	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00
<b>ख</b>	बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	<b>2188.22</b>	<b>2131.24</b>	<b>3354.10</b>	<b>3515.42</b>	<b>5542.32</b>	<b>5646.66</b>
	राजस्व	1160.00	1120.84	3659.79	3775.04	4819.79	4895.88
	पूँजीगत	1028.22	1010.40	-305.69	-259.62	722.53	750.78
<b>95</b>	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	<b>958.30</b>	<b>925.28</b>	<b>1193.10</b>	<b>1221.00</b>	<b>2151.40</b>	<b>2146.28</b>
	राजस्व	626.45	612.13	1156.56	1184.48	1783.01	1796.61
	पूँजीगत	331.85	313.15	36.54	36.52	368.39	349.67
<b>96</b>	चंडीगढ़	<b>466.96</b>	<b>461.18</b>	<b>1586.48</b>	<b>1646.94</b>	<b>2053.44</b>	<b>2108.12</b>
	राजस्व	165.70	159.92	1937.59	1950.38	2103.29	2110.30
	पूँजीगत	301.26	301.26	-351.11	-303.44	-49.85	-2.18

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
<b>97</b>	दादरा और नागर हवेली	<b>259.00</b>	<b>256.95</b>	<b>92.88</b>	<b>92.41</b>	<b>351.88</b>	<b>349.36</b>
	राजस्व	169.91	167.93	88.26	87.79	258.17	255.72
	पूँजीगत	89.09	89.02	4.62	4.62	93.71	93.64
<b>98</b>	दमन और दीव	<b>181.73</b>	<b>166.77</b>	<b>101.54</b>	<b>101.36</b>	<b>283.27</b>	<b>268.13</b>
	राजस्व	86.27	71.33	100.87	100.74	187.14	172.07
	पूँजीगत	95.46	95.44	0.67	0.62	96.13	96.06
<b>99</b>	लक्षद्वीप	<b>322.23</b>	<b>321.06</b>	<b>380.10</b>	<b>453.71</b>	<b>702.33</b>	<b>774.77</b>
	राजस्व	111.67	109.53	376.51	451.65	488.18	561.18
	पूँजीगत	210.56	211.53	3.59	2.06	214.15	213.59
	<b>IV- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल केन्द्रीय सहायता</b>	<b>96412.46</b>	<b>88644.59</b>	<b>3925.10</b>	<b>4082.97</b>	<b>100337.56</b>	<b>92727.56</b>
	राजस्व	<b>84893.80</b>	<b>77343.67</b>	<b>4158.79</b>	<b>4270.59</b>	<b>89052.59</b>	<b>81614.26</b>
	पूँजीगत	<b>11518.66</b>	<b>11300.92</b>	<b>-233.69</b>	<b>-187.62</b>	<b>11284.97</b>	<b>11113.30</b>
	सकल योग	<b>395024.20</b>	<b>379064.94</b>	<b>821551.53</b>	<b>818262.71</b>	<b>1216575.73</b>	<b>1197327.65</b>
	राजस्व	<b>326927.72</b>	<b>314232.21</b>	<b>726749.07</b>	<b>726490.43</b>	<b>1053676.79</b>	<b>1040722.64</b>
	पूँजीगत	<b>68096.48</b>	<b>64832.73</b>	<b>94802.46</b>	<b>91772.28</b>	<b>162898.94</b>	<b>156605.01</b>

## ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्योरा

वर्ष	₹ करोड़
2011 से पहले परिपक्व होने वाले	73,572
2012 में परिपक्वता	90,621
2013 में परिपक्वता	70,735
2014 में परिपक्वता	151,862
2015 में परिपक्वता	200,674
2016 में परिपक्वता	169,130
2017 में परिपक्वता	221,887
2018 में परिपक्वता	87,235
2019 में परिपक्वता	118,000
2020 में परिपक्वता	135,000
2021 में परिपक्वता	75,213
2022 में परिपक्वता	168,465
2023 में परिपक्वता	19,000
2024 में परिपक्वता	10,000
2026 में परिपक्वता	15,000
2027 में परिपक्वता	106,680
2028 में परिपक्वता	26,000
2032 में परिपक्वता	125,956
2034 में परिपक्वता	60,000
2035 में परिपक्वता	42,350
2036 में परिपक्वता	59,000
2039 में परिपक्वता	13,000
2040 में परिपक्वता	32,000
<b>कुल</b>	<b>2,071,380</b>

वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 100 करोड़ तथा इससे अधिक  
की बचत वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या और अनुदान अथवा विनियोग का नाम		अनुदान / विनियोग की राशि		व्यय		बचत		
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
001	कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	17776.21		17305.18		471.03	
003	पशुपालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग	स्वीकृत	1749.63		1484.10		265.53	
004	परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	5096.90	3008.05	4839.19	2495.98	257.71	512.07
005	नाभिकीय विद्युत स्कीमें	स्वीकृत		1450.41		398.26		1052.15
006	रसायन और पेट्रोरसायन	स्वीकृत	1641.32		1227.57		413.75	
009	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	1475.36	1428.70	1239.73	1287.64	235.63	141.06
011	वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	5994.65		4605.84		1388.81	
014	दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	10575.51	1684.95	10277.14	93.12	298.37	1591.83
015	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	3558.03		2979.97		578.06	
017	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	66607.36		66326.22		281.14	

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या और अनुदान अथवा विनियोग का नाम			अनुदान / विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
020	रक्षा मंत्रालय	स्वीकृत	11895.28		11458.31		436.97	
028	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत	1618.34	241.00	1499.76	140.77	118.58	100.23
029	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	1079.67	284.29	969.74	128.33	109.93	155.96
032	आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	6845.63	13177.56	6171.08	10725.89	674.55	2451.67
033	वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	36686.98	23182.12	34874.75	22550.63	1812.23	631.49
034	विनियोग-ब्याज अदायगियां	प्रभारित	251664.01		244742.82		6921.19	
035	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	प्रभारित	32639.01	11413.44	31514.20	10213.75	1124.81	1199.69
		स्वीकृत	83988.83		71525.15		12463.68	
037	विनियोग-ऋण की पुनर्अदायगी	प्रभारित		3398559.15		2814774.12		583785.03
042	प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	2844.98	1679.01	2697.96	1572.28	147.02	106.73
043	अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत		264.20		123.09		141.11
046	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	24142.17	1221.04	23266.73	955.25	875.44	265.79

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या और अनुदान अथवा विनियोग का नाम			अनुदान / विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
051	गृह मंत्रालय	स्वीकृत	4232.66		4097.48		135.18	
053	पुलिस	स्वीकृत	29125.04	7426.59	28876.37	4960.00	248.67	2466.59
055	संघ राज्य सरकारों को अंतरण	स्वीकृत	1924.11		1616.31		307.80	
056	आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय	स्वीकृत	1007.07		828.24		178.83	
057	विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	53330.83		52546.94		783.89	
058	उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	18783.34		15566.76		3216.58	
059	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	2269.70		2063.64		206.06	
060	श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	3435.68	763.40	3058.25	309.73	377.43	453.67
064	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	2667.18		2556.81		110.37	
066	अल्पसंख्यक मंत्रालय	स्वीकृत	2500.37		1905.97		594.40	
073	योजना मंत्रालय	स्वीकृत	1866.25		280.85		1585.40	
074	विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	11418.97	5139.49	7581.43	3179.73	3837.54	1959.76
080	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	18474.45	20418.53	17884.64	19473.17	589.81	945.36

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या और अनुदान अथवा विनियोग का नाम		अनुदान / विनियोग की राशि		व्यय		बचत		
		राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	
081	ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	148217.71		130299.16		17918.55	
087	पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत	1654.44		1164.91		489.53	
088	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	4374.05		4035.17		338.88	
089	अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	3100.26	2676.88	2557.48	1924.72	542.78	752.16
090	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	2287.84		1979.18		308.66	
092	वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	13300.24		12817.41		482.83	
097	दादरा और नागर हवेली	स्वीकृत	1613.69		1438.66		175.03	
100	शहरी विकास विभाग	स्वीकृत	1183.24		1057.57		125.67	
103	जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत	1050.56		929.43		121.13	
104	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	11070.55		10699.99		370.56	
105	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	स्वीकृत	2377.91	1402.99	1724.83	1119.75	653.08	283.24

महालेखा नियंत्रक  
वित्त मंत्रालय  
भारत सरकार  
7वां तल, लोक नायक भवन,  
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003 ( भारत )  
दूरभाष : 91-11-24641121, फ़ैक्स : 91-11-24698319  
वेबसाइट : [www.cga.nic.in](http://www.cga.nic.in)